University of Patanjali Haridwar

6.2.2-C

Minutes of meetings of various Bodies and Committees

पतंजलि विश्वविद्यालय

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

बैठक कार्यवृत्त

विद्या परिषद् (Academic Council) की 9वीं बैठक दिनांक 27.5.2022 अपराह्न 12:00 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित सभागार कक्ष

विद्या परिषद की नवीं बैठक दिनांक 27 मई, 2022 को अपराह्न 12:00 बजे माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं माननीय कुलपति श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में ईश प्रार्थना के साथ प्रारम्भ हुई। तदुपरान्त कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों के स्वागत एवं बैठक को विधिवत रूप से प्रारम्भ करने की अनुमति हेतु परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी से निवेदन करने के लिए आदरणीय प्रति–कुलपति जी से निवेदन किया। प्रति–कुलपति महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हृदय से स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया तथा परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी से बैठक को प्रारम्भ करने की अनुमति प्राप्त कर, कुलसचिव को विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया, जिसमें कार्यसूची के अनुसार निम्न बिन्दुओं पर चर्चा, विचार–विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी:–

क्र.सं.	कार्यवृत्त – चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय	
1.	कार्यसूची संख्या–01 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (BNYS) 5½ वर्षीय स्नातक कोर्स का पूर्व में (दिनांक 24.2.2021) एवं प्रबन्ध मण्डल (दिनांक 8.7.2021) से स्वीकृत व सम्बन्धित Board of Studies से संशोधित उक्त पाठ्यक्रम नवीं विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति हेतु।	विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से पूर्व में स्वीकृत **प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (BNYS) 5½** वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से प्रारम्भ होने के बाद इसमें कुछ आंशिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा जिसे Board of Studies के सदस्यों द्वारा स्वीकृति उपरान्त विद्या परिषद की बैठक में विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग
2.	कार्यसूची संख्या–02 प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (DNYT) में 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का पूर्व में विद्या परिषद (दिनांक 24.2.2021) एवं प्रबन्ध मण्डल (दिनांक 8.7.2021) से स्वीकृत व सम्बन्धित BOS से संशोधित उक्त पाठ्यक्रम विद्या परिषद द्वारा स्वीकृति हेतु।	विद्या परिषद एवं प्रबन्ध मण्डल से पूर्व में स्वीकृत **प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (DNYT)** में 01 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से प्रारम्भ होने के बाद इसमे कुछ आंशिक संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा जिसे Board of Studies के सदस्यों द्वारा स्वीकृति उपरान्त विद्या परिषद की बैठक में विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से इसे स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग
3.	कार्यसूची संख्या–03 CBCS को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों (Programs) के पाठ्यक्रम (Syllabi) पतंजलि विश्वविद्यालय	सत्र 2022–23 से विश्वविद्यालय परीक्षा एवं पाठ्यक्रमों का संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के Choice based credit system (CBCS) के आधार पर करने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों :– योग विज्ञान विभाग, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग, संस्कृत विभाग, पर्यटन विभाग, दर्शनशास्त्र विभाग, संस्कृत विभाग, प्राकृतिक चिकित्सा विभाग, मनोविज्ञान विभाग, अंग्रेजी विभाग एवं जीव विज्ञान विभाग द्वारा अपने–अपने पाठ्यक्रमों को CBCS प्रणाली के अनुसार तैयार किया। उपस्थित सभी विभागों ने अपनी–अपनी Board of studies (BOS) से स्वीकृत पाठ्यक्रमों

		को विद्या परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–विज्ञान विभाग • संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय • संकायाध्यक्ष–योग विभाग (सम्बन्धित संकाय के विभागों के अर्न्तगत स्वीकृत पाठ्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु।) • कुलसचिव कार्यालय • परीक्षा नियंत्रक कार्यालय • प्रवेश समिति • विवरणिका समिति
4.	कार्यसूची संख्या–04 • विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. व्याकरण को बी.ए. आनर्स संस्कृत व्याकरणम् में परिवर्तन करना। • विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संचालित पाठ्यक्रम एम.ए. संस्कृत के नाम को परिवर्तित कर एम.ए. संस्कृतम् करने हेतु। • विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संचालित पाठ्यक्रम एम.ए. संस्कृत व्याकरण के नाम को परिवर्तित कर एम.ए. संस्कृतव्याकरणम् करने हेतु। • विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. (संस्कृत एवं लौकिक साहित्य) के नाम को परिवर्तित कर बी.ए. संस्कृतम् करने हेतु।	विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों–बी.ए. व्याकरण, एम.ए. संस्कृत, एम.ए. संस्कृत व्याकरण एवं बी.ए. (संस्कृत एवं लौकिक साहित्य) के नामों को क्रमशः बी.ए. आनर्स संस्कृत व्याकरणम्, एम.ए. संस्कृतम्, एम.ए. संस्कृतव्याकरणम् एवं बी.ए. संस्कृतम् कये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय • कुलसचिव कार्यालय • परीक्षा नियंत्रक कार्यालय • प्रवेश समिति • विवरणिका समिति
	• विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में संचालित पाठ्यक्रम M.A. Psychology with specialization in Clinical Psychology के नाम को परिवर्तित कर Master of Arts in Psychology करने हेतु।	विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम M.A. Psychology with specialization in Clinical Psychology के नाम को Master of Arts in Psychology किये जाने को स्वीकृत किया गया। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय • कुलसचिव कार्यालय • परीक्षा नियंत्रक कार्यालय • प्रवेश समिति • विवरणिका समिति
	• विश्वविद्यालय के योग विभाग में संचालित पाठ्यक्रम B.Sc. Yoga Science के नाम को परिवर्तित कर B.Sc. (Honours) Yoga Science करने हेतु।	विश्वविद्यालय के योग विभाग में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रम B.Sc. Yoga Science को B.Sc. (Honours) Yoga Science किया जाना स्वीकृत किया। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–योग विभाग • कुलसचिव कार्यालय • परीक्षा नियंत्रक कार्यालय • प्रवेश समिति • विवरणिका समिति

5.	**कार्यसूची संख्या–05** सत्र 2022–23 में प्रवेश प्रक्रिया (परीक्षा/मेरिट अर्हता/ साक्षात्कार/शिविर)	सत्र 2022–23 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र/ छात्राओं का प्रवेश अर्हता मैरिट के अनुसार किये जाने एवं 01 अगस्त 2022 से नवीन सत्र प्रारम्भ किये जाने हेतु प्रस्ताव, माननीय प्रति–कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय कुलाधिपति एवं विद्या परिषद के अन्य सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2022–23 में प्रवेश पात्रता हेतु आवेदन पत्र प्रेषित अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश– चिकित्सकीय परीक्षण, शारीरिक दक्षता (25 बार सूर्य नमस्कार, 25 बार दण्ड बैठक, लम्बी कूद, ऊँची कूद एवं 2 किमी. की दौड) के आधार पर किया जायेगा। नवीन सत्र 01 अगस्त 2022 से प्रारम्भ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। **कार्यवाही –** उप–कुलसचिव, प्रवेश समिति, कुलसचिव कार्यालय
6.	**कार्यसूची संख्या–06** परीक्षा विभाग से प्राप्त निम्न कार्यसूची (Agenda Items) परीक्षा परिणाम हेतु। परीक्षा नियम दिनांक 2.2.2017 में मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत नियमों के तहत निर्मित व अनुमोदितय; नियमों में संशोधन हेतु।	परीक्षा नियंत्रक द्वारा विद्या परिषद के सम्मुख अवगत कराया गया कि – a) पाठ्यक्रम के 3/2 वर्षीय स्नातक/ परास्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्रा यदि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में अनुत्तीर्ण या सम्मिलित नहीं हुए है और सक्षम अधिकारी की अनुमति से द्वितीय सेमेस्टर में अध्ययन कर द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण नही होते हैं तो उन्हे year back के नियम के अन्तर्गत पुनः प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेना होगा। b) यदि छात्र–छात्रा प्रथम/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण या पुर्नपरीक्षा के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें प्रथम सेमेस्टर क्लीयर करने हेतु विशेष आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा। परीक्षा परिणाम के आधार पर अगले सेमेस्टर में अध्ययन की अनुमति सक्षम अधिकारी द्वारा दी जायेगी। c) इस विशेष परीक्षा हेतु छात्र/छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निश्चित किया गया शुल्क रू0 5000/– व प्रश्नपत्रों का परीक्षा शुल्क देना होगा। d) यह ऊपरलिखित a) से c) तक की व्यवस्था पूर्व में निर्धारित परीक्षा नियमों के साथ स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों में सत्र 2022–23 से प्रवेश पाने वाले प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्रों पर लागू होगी।
	Year Back मा. कुलपति महोदय द्वारा गठित "परीक्षा विषयक संसोधन समिति" द्वारा संस्तुत परीक्षा परिणाम नियमों दिनांक 02.02.2017 में संशोधन	a) सभी पाठ्यक्रमों के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में पास हेतु न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये हैं। b) मुख्य सैद्धान्तिक परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न–पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किये जाते हैं। (अर्थात् 70 अंकों की परीक्षा में 28 पास अंक निर्धारित किये जाते हैं।) c) प्रत्येक पाठ्यक्रम में अधिकतम 03 प्रश्न–पत्रों में प्राप्त अंक न्यूनतम से कम होने पर पुनर्परीक्षा का एक अवसर प्राप्त होगा। d) पाठ्यक्रम के प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम प्रांप्तांक 50 प्रतिशत होना आवश्यक है। e) Year Back का निर्णय सत्र के सम और विषम सेमेस्टर में छात्रों के परिणाम के आधार पर किया जाएगा, जो छात्र सत्र के दोनों सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण होंगे, उन्हें Year Back के अन्तर्गत पुनः प्रवेश लेना होगा।

	अंक तालिका	a) प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी छात्रों को अंकतालिका प्रदान की जाए। b) पुनर्परीक्षा में सम्मिलित हुए छात्रों को केवल पुनर्परीक्षा दिये प्रश्न–पत्रों की अंकतालिका जारी की जाए। c) सभी छात्रों को पाठ्यक्रम की समाप्ति पर सभी अर्धसत्रों में प्राप्त अंकों की एक समेकित (Consolidated) अंकतालिका अंकतालिका जारी की जाए। d) अंक तालिका के संशोधित प्रारूप को परीक्षा समिति द्वारा पुनः देख कर लिया जाय। e) जो छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए उनकी सूची विवरण सहित तैयार की जाए। f) छात्र को अग्रिम सेमेस्टर में पंजीकृत हेतु फॉर्म भरकर प्रवेश विभाग में जमा करना होगा (सक्षम अधिकारी के अनुमोदन हेतु)।
	पाठ्यक्रम की अधिकतम् अवधि	a) प्रत्येक पाठ्यक्रम को निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने पर Ex-छात्रों को अधिकतम 02 वर्ष का अतिरिक्त समय पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों के सभी प्रश्न–पत्रों में पास होने हेतु उपलब्ध होगा। b) एक वर्षीय सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स निर्धारित अवधि में न पास करने पर अधिकतम 01 वर्श का अतिरिक्त समय पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टरों के सभी प्रश्न–पत्रों में पास होने हेतु उपलब्ध होगा।
	शुल्क	माननीय कुलपति महोदय ने 20.07.2021 को पुनर्परीक्षा में आन्तरिक, मुख्य परीक्षा (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक) की पुनर्परीक्षा के शुल्क में निम्न संशोधन स्वीकृत किया। 1. आन्तरिक परीक्षा : रू. 500/– प्रति प्रश्न–पत्र। 2. प्रायोगात्मक परीक्षा : रू. 1000/–प्रति प्रश्न–पत्र 3. सैद्धान्तिक परीक्षा : रू. 700/– प्रति प्रश्न–पत्र। परीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा वर्णित उपरोक्त बिन्दुओं पर माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा काफी समय से लम्बित ऐसे छात्र/छात्राओं जो ना तो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है, अधिक विषयों मे अनुत्तीर्ण है एवं जिनकी काफी समय से देय शुल्क की धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ऐसे छात्र/छात्राओं का शीघ्रतिशीघ्र निष्पादन कार्य पूर्ण कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक महोदय को अधिकृत किया। **कार्यवाही – प्रति–कुलपति एवं परीक्षा समिति**
7.	**कार्यसूची संख्या–07** संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय तथा योग विज्ञान संकाय एवं संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध द्वारा शैक्षणिक सत्र 2022–23 से नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाना। • मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस • बी0पी0एड0 (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) • परामर्श और मनोचिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा	विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु चर्चा हुई, जिसमे – (i) • मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस • बी0पी0एड0 (बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन) • एम.एस–सी. बायोकेमिस्ट्री पाठ्यक्रम • एम.एस–सी माइक्रोबायलाजी पाठ्यक्रम के स्थान पर बी.एस–सी माइक्रोबायलाजी पाठ्यक्रमों को वर्ष 2023–24 के शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई

पतंजलि विश्वविद्यालय

	• एम.एस–सी. बायोकेमिस्ट्री पाठ्यक्रम • एम.एस–सी माइक्रोबायलाजी पाठ्यक्रम • खाद्य विज्ञान और पोषण में डिप्लोमा	साथ ही साथ कुछ पूर्व में स्वीकृत पाठ्यक्रमों को भी प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–विज्ञान विभाग ii) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग (BNYS) पाठ्यक्रम में भी मनोचिकित्सा एवं मनोविज्ञान विषय को भी पढ़ाये जाने हेतु/सम्मिलित किये जाने हेतु कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय • संकायाध्यक्ष– प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग • मनोविज्ञान विभाग iii) 06 माह के रोजगार दायक महत्वपूर्ण सार्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को भी प्रारम्भ एवं रूपरेखा बनाने हेतु निर्देश प्रदान किया गया। कार्यवाही – • संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध विभाग • संकायाध्यक्ष–विज्ञान विभाग • संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय • संकायाध्यक्ष–योग विभाग
8.	कार्यसूची संख्या–08 माननीय कुलपति महोदय जी द्वारा तत्काल आवश्यकता के कारण पूर्व में स्वीकृत निम्न बिन्दुओं को विद्या परिषद की स्वीकृति हेतु परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा प्रेषित। 8.1 विश्वविद्यालय संशोधित उपाधि के प्रारूप के सम्बन्ध में। 8.2 विश्वविद्यालय डी.लिट डिग्री का प्रारूप A4 से बदलकर A3 साईज में करने के सम्बन्ध में।	कार्यसूची संख्या 8.1 तथा 8.2 को स्वीकृत किया गया। कार्यवाही – परीक्षा नियंत्रक

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

क) माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं विद्या परिषद सदस्यों के समक्ष कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि संगीत विभाग में पूर्व से संचालित एक वर्षीय पाठ्यक्रम Diploma in Hindustani (Bhartiya) Music में भी कुछ आंशिक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय वादन आदि स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने एवं इससे भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने में बल मिलेगा, ऐसा निर्देशित किया, जिसे विद्या परिषद में उपस्थित सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही साथ यह भी आदेशित किया कि पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी की संख्या 10 से अधिक है तभी पाठ्यक्रम को संचालित करने की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

ख) विद्या परिषद में वाह्य विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित ए.पी.एस. विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, माननीय प्रो. के.एन.एस. यादव द्वारा विद्या परिषद के सभी सदस्यगणों के सम्मुख कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal) एवं कुलपति पदक (Vice-Chancellor Medal) उन स्नातक/ परास्नातक छात्र/छात्राओं को जिन्होने अपने उत्कृष्ट एवं अथक प्रयासों अनुसंधान एवं शिक्षा से कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया को विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में सम्मानित किये जाने हेतु प्रस्ताव रखा, जिसे विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा छात्र/छात्रा की असाधारण उपलब्धि एवं प्रोत्साहित हेतु सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

ग) अन्त में माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा बैठक में उपस्थित सभी संकायाध्यक्षों/ विभागाध्यक्षों को आर्शीवचन देते हुए कहा कि वे अपने–अपने विभागों में पुरुषार्थ करते रहे, श्रेष्ठ

कीर्तिमान स्थापित करें और विश्वविद्यालय विद्या का गौरव को शिक्षा की दशा और दिशा बदलने का जो बहुत बड़ा सपना पतंजलि विश्वविद्यालय का है उसे प्रमाणिकता के साथ शीर्ष तक एवं जिसके जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करें। प्राच्य विद्या संकाय में बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। विज्ञान संकाय को भी और ज्यादा दृढ़ता प्रदान करनी पड़ेगी। पतंजलि विश्वविद्यालय को तथा गुरुकुलम को ग्लोबल रूप में विद्या के क्षेत्र में बड़े कीर्तिमान खड़े करने है, यशस्वी कार्य करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आर्शीवाद है। हम आध्यात्म पर आधारित शिक्षा पर एक मॉडल हेतु विश्वविद्यालय को ले जा सके ऐसा कार्य करना है, सभी विद्या संकायों को विशेष आर्शीवाद; विशेषज्ञों को भी व सभी को बहुत–बहुत आर्शीवाद। सभी एकात्मता से जुड़े है। प्राकृतिक चिकित्सा जैसे पाठ्यक्रमों को आयुष के सहयोग एवं अनुमोदन से पूरे देश में लागू किये जाने की ओर हम प्रयासरत है। BAMS, MBBS क्षेत्रों में आध्यात्मिकता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा शुरु हो जाये उस दिशा में विद्या को प्रमाणिकता के आधार पर हम ले जा सके इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है इन्हीं आशीष वचनों के साथ माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति–कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

बैठक कार्यवृत्त

विद्वत् परिषद की 8वीं (आठवीं) बैठक दिनांक 24.02.2021 अपराह्न 03:00 बजे कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फ़ेस-1

आज दिनांक 24 फरवरी 2021 को अपराह्न 03:00 बजे विद्वत् परिषद की बैठक ईश प्रार्थना के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में माननीय कुलाधिपति योगर्षि परम पूज्य स्वामी जी महाराज का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बैठक हेतु प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार चर्चा, विचार-विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी।

1- **पूर्व में आयोजित बैठक कार्यवाही की पुष्टि-** दिनांक 16 जून 2020 को आयोजित विद्वत् परिषद् की सातवीं बैठक का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु उपस्थित समस्त सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया।

2- **सत्र 2021-22 के विवरणिका तैयार करने सम्बन्धित-** शैक्षिणिक सत्र 2021-22 में विश्वविद्यालय विवरणिका तैयार करने हेतु विवरणिका समिति (Prospectus Committee) के निम्नलिखित प्रारूप को विद्वत् परिषद द्वारा अनुमोदन सहित स्वीकृति प्रदान की गई।

1. डॉ. महावीर अग्रवाल, प्रति-कुलपति
2. डॉ. प्रवीण पुनिया, कुलसचिव
3. डॉ. वी. के. कटियार, संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध)
4. डॉ. साध्वी देवप्रिया, संकायाध्यक्ष- मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन एवं कुलानुशासिका
5. श्री वी.सी. पाण्डेय, I.AS.(Retd.), परीक्षा नियन्त्रक
6. स्वामी परमार्थदेव, सहा. प्रध्यापक संस्कृत विभाग एवं सहा. कुलानुशासक
7. डॉ. निधीश यादव, सहा. प्रधयापक योग विभाग
8. डॉ. अभिषेक भारद्वाज, सहा. प्राध्यापक, मनोविज्ञान विभाग
9. डॉ. सन्दीप कुमार सिंह, सहा. प्राध्यापक, योग विभाग

3- **सत्र 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया (परीक्षा/मेरिट/साक्षात्कार/शिविर) के सम्बन्ध में-** प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 13 मार्च 2020 की बैठक द्वारा सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु प्रक्रिया को स्वीकृत किया गया था कि किन्तु कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित गाईडलाईन के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न हुई। आगामी सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश की प्रक्रिया प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत गतिविधियों के अनुसार की जायेगी साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के द्वारा जारी की जाने वाली गाईडलाईन/निर्देशों का पालन किया जाएगा जिसकी विद्वत् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

Registrar
University of Patanjali
Haridwar

पतंजलि विश्वविद्यालय

4- **नये सत्र 2021-22 से शुल्क में वृद्धि से सम्बन्धित-** आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शिक्षण शुल्क आदि मदों में शुल्क वृद्धि विषय पर चर्चा हुई- जिसमें माननीय कुलाधिपति जी द्वारा निर्देशित किया गया कि सुविधा शुल्क (छात्रावास/भोजन) को पतंजलि आयुर्वेद महाविद्यालय के अनुसार किया जाए साथ ही शैक्षणिक शुल्क में भी वृद्धि वित्ताधिकारी, माननीय कुलपति व माननीय कुलाधिपति के निर्देशों के अनुसार निर्धारित करवायेंगे।

5- **विश्वविद्यालय के पॉवरप्वाईट प्रस्तुति के प्रारूप को अनुमोदित करवाना-** विश्वविद्यालय से सम्बन्धित गतिविधियों या सेमिनार/वेबिनार/कॉन्फ्रेंस/वर्कशॉप आदि में सभी अधिकारियों, संकाय सदस्यों व अन्य के द्वारा पॉवरप्वाईट प्रिजन्टेशन के प्रारूप को प्रस्तुतिकरण हेतु प्रारूप को विद्वत् परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद् द्वारा प्रदान किए गये सुझावों के अनुरूप प्रारूप में आवश्यक परिवर्तन कर सर्व सम्मति से सहमति बनी। यह प्रारूप पतंजलि विश्वविद्यालय के सर्वाधिकार (copyright) के अर्न्तगत रहेगा जिसको विद्वत् परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

6- **स्व-मूल्यांकन प्रतिवेदन Self Assessment Report (SAR) के प्रारूप को अनुमोदित करवाना -** विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा स्व-मूल्यांकन रिपॉट और समीक्षा हेतु एक प्रारूप को विद्वत् परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। UGC के प्रारूप व NAAC की मूल्यांकन प्रक्रिया में यह कार्य अत्यावश्यक है। जिसके अर्न्तगत समस्त प्राध्यापकों द्वारा पूरे वर्ष में उपलब्धियों का सारांश, मूल्यांकन और आगे सुधार करने में उनकी सहायता के साथ संकायाध्यक्ष आदि अन्य अधिकारीगण के माध्यम से मा० कुलपति महोदय को प्रस्तुत किया जाएगा। स्व-मूल्यांकन के तीनों प्रारूपों को विद्वत् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

7- **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय/प्रकरण आदि पर चर्चा एवं निर्णय।**

i. **पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के दूरदर्शिता (Vision) एवं लक्ष्य (Mission) पर चर्चा-** पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम की रिपॉट में दी गई विश्वविद्यालय की दूरदर्शिता (Vision) एवं लक्ष्य (Mission) तथा व्यवस्थापक मण्डल के द्वारा एवं परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी द्वारा अनुमोदित दूरदर्शिता (Vision) एवं लक्ष्य (Mission) को स्वीकृत किया गया।

ii. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के विश्वविद्यालय अवलोकन से सम्बन्धित-** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित छः सदस्यीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय का दिनांक 11 से 14 मार्च 2021 तक निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। विशेषज्ञों हेतु आवागमन, आवास आदि व्यवस्थाओं का प्रबन्ध किया जा चुका है। दिनांक 11 से 14 मार्च 2021 तक विश्वविद्यालय में अवकाश न किया जाए। इसका विद्वत् परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया।

Registrar
University of Patanjali
Haridwar

पतंजलि विश्वविद्यालय

iii. **नये सदस्यों के मनोनयन से सम्बन्धित-** पतंजलि विश्वविद्यालय विद्वत् परिषद में पूर्व से नामित सदस्य डॉ. विनोद बंसल, विश्वविद्यालय से चले जाने के कारण; प्रवीण पुनिया पूर्व में Expert के रूप में एवं डॉ. जी. डी. शर्मा जी विश्वविद्यालय व्यवस्थापक मण्डल के सदस्य होने के कारण तीन स्थान रिक्त हो गये हैं। इन माननीय सदस्यों के स्थान पर नये तीन सदस्यों का मनोनयन किया जाना है जो कि योग से सम्बन्धित, प्रशासनिक कार्य से सम्बन्धित अनुभव रखते हों। दो प्रोफेसर को भी एक वर्ष के लिए नामित किया जायेगा। इस हेतु माननीय अध्यक्ष जी की ओर से माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा आवश्वासन दिया गया कि इसकी प्रतिपूर्ति अतिशीघ्र ही की जाएगी।

iv. **विश्वविद्यालय के नये परिसर से सम्बन्धित-** पतंजलि विश्वविद्यालय के नव निर्मित परिसर में विधिवत कक्षाओं, आवासीय व्यवस्थाओं एवं कार्यालयी कार्य के संचालन हेतु आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ण कर यथाशीघ्र ही स्थानांतरित करने हेतु माननीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश प्रदान किया गया।

v. **पतंजलि विश्वविद्यालय में 'योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक' पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने विषयक-** शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पतंजलि विश्वविद्यालय में योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु सम्बन्धित मान्यता, स्वीकृति, (NOC) अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि प्रक्रिया के दायित्व का निर्वहन डॉ. निधीश यादव, सहायक प्राध्यापक, योग विभाग को माननीय कुलाधिपति द्वारा सौंपा गया।

vi. विद्वत परिषद् ने माननीय कुलपति जी द्वारा इतिहास विषय के Syllabus आदि को विश्वविद्यालय के हितार्थ पूर्व में लिये गये निर्णयों को स्वीकृत किया।

अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं पूर्णमदः पूर्णमिद मन्त्रोच्चारण के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

Registrar
University of Patanjali
Haridwar

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

बैठक कार्यवृत्त

विद्वत् परिषद की 7वीं बैठक दिनांक 16.06.2020 दोपहर 02:30 बजे

कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

विद्वत् परिषद की 7वीं बैठक कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई। बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा, विचार-विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी:-

1- पूर्व में आयोजित बैठक कार्यवाही की पुष्टि- दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित बैठक के प्रबन्ध मण्डल से सम्बन्धित कार्यवृत्त की पुष्टि दिनांक 13 मार्च 2020 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में पूर्ण हो चुकी है। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते दीक्षान्त समारोह के आयोजन को स्थगित किया गया।

2- सत्र 2020-21 के विवरणिका के ड्राफ्ट प्रकाशन हेतु विषयक- वर्तमान सत्र- 2020-21 में कोरोना महामारी के कारण बाधित होने से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नियमानुसार विवरणिका का प्रकाशन का कार्य गतिमान है एवं प्रकाशन की प्रक्रिया माह जून के अन्तिम सप्ताह में सम्पन्न कर ली जाएगी।

3- सत्र 2020-21 में योग एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारम्भ करने एवं 'सीटस' सम्बन्धित- सत्र 2020-21 में योग संकाय के अन्तर्गत योग विज्ञान विभाग में योग एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रारम्भ किया जाए तथा पाठ्यक्रम विवरण एवं 'सीटस' की संख्या (40) आदि को विवरणिका में समाहित किया जाये जिसकी अनुमोदन सहित स्वीकृति प्रदान की गई।

4- बी.एस.सी आनर्स (बायोलॉजिकल साईस) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित - सत्र 2020-21 में बी.एस.सी आनर्स (बायोलॉजिकल साईस) के पाठ्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की गई।

5- 2019-20 परीक्षा की अन्तिम परीक्षा एवं 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया में दिनांक 08 फरवरी को सम्पन्न बैठक में निर्धारित प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित गाईडलाईन में परिवर्तन विषयक- कोरोना महामारी के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित गाईडलाईन के अनुसार वर्तमान सत्र की रूपरेखा एवं अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं कोरोना महामारी से देश एवं विश्व की सुरक्षा हेतु शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

6वीं (छठवीं) विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 08.02.2020 प्रातः 09:15 बजे कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 08 फरवरी 2020 को प्रातः 09:15 बजे विद्वत् परिषद की बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा, विचार-विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्रं.स.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	दिनांक 03 जनवरी 2020 को आयोजित पांचवीं विद्वत् परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की रिपोंट कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही व रिपोंट की पुष्टि एवं अनुमोदन किया।	
2.	कार्यसूची संख्या- 01 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील विषयक।	परिषद के सदस्यों ने पतंजलि विश्वविद्यालय की सील के प्रारूप को परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। सील के स्वीकृत प्रारूप को बनवाया जाये व विश्वविद्यालय की सम्पति माना गया जो कि कुलसचिव के अधीन रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 02 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो विषयक।	परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के 'लोगो' (Logo) के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
4.	कार्यसूची संख्या- 03 दीक्षांत समारोह आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा।	
	i. दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण।	31 मार्च 2020 को दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	ii. स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच.डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप।	कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों के प्रारूप को विद्वत् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। डिग्रियों की भाषा संस्कृत एवं अंग्रेजी में रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	iii. दीक्षान्त समारोह वेशभूषा	a) अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की दीक्षान्त समारोह के लिए वेशभूषा में क्रीम रंग की धोती एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्ता जिसके अगले भाग पर भगवे/गेरूआ रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरदल वाली पगड़ी को स्वीकृत किया। b) अधिकारियों, छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों हेतु दीक्षान्त वेशभूषा क्रीम रंग की लाल बॉडर की साड़ी एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्ती/ब्लाउज जिस पर भगवे/गेरूवे रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरांगना वाली पगड़ी स्वीकृत की गयी। c) विशेष माननीय अतिथियों हेतु अन्य रंग का अंगरखा नुमा कुर्ता, धोती एवं अन्य रंग की पगड़ी को जो भी माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत की जाये को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। (कार्यवाही- (a)(b)(c) कुलसचिव)

	iv. उपाधि	वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए, एम. एस.सी, पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (कार्यवाही- कुलसचिव व संकायाध्यक्ष)
	v. स्वर्ण पदक	a) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता- i. प्रत्येक पाठ्यक्रम में 70% एवं उससे अधिक, प्राप्तांक वाले छात्र/छात्रा को ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। ii. जिस कक्षा में 2 या 2 से अधिक छात्र पास हुए हैं उन्हीं में प्रथम विद्यार्थी को स्वर्ण पदक दिया जाये। iii. वर्ष 2020-21 के सत्र से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में उन्हीं को पदक प्रदान किया जाये जिस कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी होंगे। b) स्वर्ण पदक के मानक को परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि पदक पर स्वर्ण धातु का पानी चढ़ा हो, विश्वविद्यालय की सील एवं छात्र/छात्रा तथा पाठ्यक्रम का नाम अंकित हो। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क	a) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजाररूपये मात्र) b) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vii. प्रायोजक	पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा करनी होगी साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनका प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं।
5.	कार्यसूची संख्या- 05 **Allied & Applied Science Faculty of Science** के अन्तर्गत	पूर्व में हुई बैठक द्वारा अनुमोदित व विद्वत् परिषद में स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति को अग्रसारित तथा माननीय

		कुलपति द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय में Allied & Applied Science विभाग Faculty of Science के अर्न्तगत नये सत्र से प्रारम्भ करने पर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
06.	कार्यसूची संख्या- 06 सत्र 2020-21 से स्नातक एवं परा-स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में निम्न कोर्स अध्ययन कार्यक्रमों (Programmes of Study) को प्रारम्भ करने पर चर्चा।	a) दिनांक 03 जनवरी 2020 को माननीय कुलाधिपति महोदय जी अध्यक्षता में सम्पन्न परामर्शदात्री समिति की बैठक में अनुमोदित पाठ्यक्रमों पर विद्वत् परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद परा-स्नातक स्तर पर 1. Biotechnology Science 2. Industrial Microbiology 3. Bio Chemistry 4. Industrial Chemistry 5. Botany (Ethno Botany) एवं 6. Ayurved Biology ; तथा स्नातक स्तर पर i. B.sc. Medical (Honours) निम्नलिखित Biotechnical Science, Industrial Chemistry, Bio Chemistry, Microbiology, Biotechnology) में से किसी एक विषय के 02 कोर्स, आनर्स के लिए विशेषज्ञता के चयन के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के CBCS सिस्टम के अनुसार सत्र 2020-21 के सत्र से प्रारम्भ किये जाने पर पूर्ण सहमती प्रदान की। बी.एस.सी मेडिकल मे डिग्री कर 03 वर्ष की आनर्स डिग्री मानी जाएगी ii. आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) (स्नातक/परा-स्नातक स्तर पर) के विषय में माननीय कुलपति जी द्वारा सभा को बताया गया कि भारतीय आयुर्वेद की प्राचीनतम पद्धतियों को नवीन अनुसंधान के साथ समावेशित कर वैश्विक स्तर पर दृढ़ संकल्प के साथ इस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा तभी कुछ नया कर सकते हैं। अतः आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) विषय में स्नातक का पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्रदान की। b) सीटों की संख्या- स्नातक- 30, स्नातकोतर स्तर- 20 (कार्यवाही- पाठ्यक्रम आदि- संकायाध्यक्ष, प्रवेश प्रक्रिया - कुलसचिव)
07.	कार्यसूची संख्या-07 एवं 08 पतंजलि विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की स्वीकृति।	a) विश्वविद्यालय के सफल कार्यालय संचालन हेतु कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, सहायक एवं परीक्षा नियन्त्रक (COE) उपसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrar) (Exam) व सहायक सचिव (Assistant Registrar) की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नोट- विश्वविद्यालय के उपरलिखित विभागों में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर तथा साथ ही विश्वविद्यालय के अनुभव

		एवं निष्ठा तथा योग्यता के आधार पर नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की जाये एवं संस्था में अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव व वित्तअधिकारी)
08.	कार्यसूची संख्या- 09 एलुमिनाई एसोशियन के गठन विषयक।	पतंजलि विश्वविद्यालय में एलुमिनाई एसोशियन के गठन एवं नियमित बैठक पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
09.	कार्यसूची संख्या- 10 शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुरूप शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता को परिषद द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया। वर्ष 2020-21 के सत्र से इस Course को Ph.D. के शोधार्थियों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाये। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
10.	कार्यसूची संख्या- 11 छात्र/छात्राओं हेतु सलाहकार समिति के गठन पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं शैक्षिणिक उत्कर्ष हेतु सलाहकार समिति बनाकर Tutorial कक्षा प्रारम्भ की जाये। इस सलाहकार समिति को बनाने के लिए शिक्षक छात्रों एवं शिक्षिकाएं छात्राओं के सलाहकार नियुक्त किये जाए तथा सभी कक्षाओं से छात्र-छात्राओं (पृथक-2) के समूह ग्रुप तैयार किये जाएंगे। यह कक्षा सप्ताह में एक बार, 01 घण्टे की निश्चित रहे। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में अनिवार्य होगी व उनके द्वारा अन्य गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर इसमें सन्तोषजनक [S= Satisfactory Grade] या असन्तोषजनक [US= Unsatisfactory Grade] परिणाम घोषित किया जाये। यह Tutorial कक्षा हर सेमेस्टर के कोर्स का भाग रहेगी। असन्तोषजनक परिणाम होने पर उसे दुबारा करना (Reappear होना) होगा। इस कक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सलाहकार का रहेगा। छात्र परामर्श समिति के गठन पर परिषद की पूर्ण सहमती बनी। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष व अध्यक्ष अनुशासन समिति)
11.	कार्यसूची संख्या- 12 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत नये पाठ्यक्रम विषयक- b) प्रश्नपत्र बैंक निर्माण- c) संगीत विभाग में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर करना।	माननीय कुलसचिव ने परिषद को बताया गया कि a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत छः माह के सर्टिफिकेट कोर्स 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं जिसे स्वीकृत उपर्लिखित कोर्स की सफलता के बाद 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में पी.जी.डिप्लोमा भी प्रारम्भ किया जाएगा। b) विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को अत्यन्त सुगम बनाने हेतु प्रश्नपत्र बैंक के निर्माण पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नपत्र बनाने की जिम्मेदारी परीक्षा

पतंजलि विश्वविद्यालय

		नियन्त्रक एवं कुलसचिव की होगी तथा यह भी निश्चित किया गया कि परीक्षा की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर (हरिद्वार) पर रहेगी। उपरलिखित (a) व (b) को परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की। c) संगीत विभाग के अर्न्तगत संचालित हिन्दुस्तान (भारतीय) संगीत परास्नातक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर संचालित (एक वर्षीय हिन्दुस्तानी (भारतीय) संगीत डिप्लोमा) करने के लिए परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार्यता प्रदान की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रशासनिक अधिकारी) (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
12.	कार्यसूची संख्या- 06 विश्वविद्यालय के गणवेश निर्धारण के विषय में चर्चा एवं अनुमोदन।	छात्र/छात्राओं हेतु गणवेश निर्धारण- पुरुष वर्ग हेतु; सफेद रंग का कुर्ता/पायजामा या पैंट/शर्ट एवं महिला वर्ग हेतु; सफेद रंग का सूट/सलवार (तंग पायजामी नहीं)। महिला प्राध्यापिकओं व कर्मचारियों हेतु मैरून रंग की पाइपिंग/पट्टी आदि एवं क्रीम रंग की साड़ी जिस पर गहरे मैरून रंग का बॉर्डर हो को पारित किया गया। (कार्यवाही - प्रति-कुलपति / कुलसचिव / संकायाध्यक्ष)

अतिरिक्त कार्यसूची चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।		
1.	कार्यसूची संख्या- 01 एवं 02 विश्वविद्यालय कैलेण्डर एवं प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया विषय पर चर्चा।	a) विश्वविद्यालय कैलेण्डर- पूर्व की बैठकों में निर्धारित विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेण्डर को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा उक्त शैक्षिक कैलेण्डर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। b) सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया का स्वरूप निम्न प्रकार रहेगा- दिनांक 28 जून से 02 जुलाई तक प्रतिभा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा, 03 जुलाई को प्रवेश पात्रता परीक्षा एवं 15 जुलाई को परीणाम घोषित किया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 10 है। c) प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न मानकों का निर्धारण किया गया। • प्रवेश पात्रता के लिए 30 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण कक्षा। • लिखित परीक्षा के लिए 30 प्रतिशत अंक। • शिविर के अर्न्तगत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक।

		• शारीरिक/मेडिकल जांच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। • अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक, कुलसचिव)
2.	कार्यसूची संख्या- 03 राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 द्वारा प्राप्त पत्र के विषय में चर्चा एवं निर्णय।	राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 के बारहवीं पास छात्रों को पतंजलि विश्वविद्यालय में स्नातक/प्रमाणा पत्रों में पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परिस्थिति के अनुसार अनुमोदन। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 04 पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों के अनुमोदन पर चर्चा।	विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 तक पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 05 कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक चर्चा एवं अनुमोदन।	कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक कार्यसूची को विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि पतंजलि विश्वविद्यालय एक प्राइवेट स्ववित पोषित विश्वविद्यालय है। इसके अर्न्तगत आरक्षण देने को कोई भी प्रावधान नहीं आता है जिस पर परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त विषय को नहीं माना। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 06 पुरानी रद्दी के निस्तारण विषय पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय में पुरानी रद्दी आदि के निस्तारण के सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार परिषद् द्वारा अनुमोदन एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। (कार्यवाही- परीक्षा नियन्त्रक)

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित्त समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्या

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।

कार्यवृत्त

विद्वत् परिषद दिनांक- 03-01-2020

आज दिनांक 03 जनवरी 2020 को प्रात: 10:30 बजे कुलपति सभागार में विद्वत् परिषद की बैठक आयोजित हुई जिसका कार्यवृत्त निम्नलिखित है।

परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य जी के पावन सानिध्य में गायत्री मन्त्र के साथ बैठक का प्रारम्भ किया गया।

कुलसचिव महोदया जी द्वारा सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक का निर्धारित एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं चर्चा प्रारम्भ हुई।

1. पूर्व में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि- 30 मई 2019 को आयोजित विद्वत् परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई भी टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

2. बैठक 30.05.2019 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन का अवलोकन एवं अनुमोदन-

कार्यसूची क्र.सं. iv & v सभी उल्लिखित पाठ्यक्रमों को कार्यवृत्त की कार्यवाही के अनुसार तैयार कर लिया है।

कार्यसूची क्र.सं- vi & vii सत्र- 2020-21 में प्रारम्भ किये जाने वाले नये पाठ्यक्रमों के प्रारूपों पर भी कार्य चल रहा है। सत्र 2020-21 में बी.एड, बीटीसी बॉयोटेक, बॉयोकैमिस्ट्री एवं इण्डस्ट्रियल कैमिस्ट्री को प्रारम्भ करने की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

कार्यसूची क्र.सं viii- सभी सम्बन्धित प्रशिक्षकों को एवं शोधार्थियों को सूचित कर दिया गया है।

कार्यसूची क्र.सं ix- मनोविज्ञान में एवं दर्शन विभाग में 09 पी.एच-डी. शोधार्थियों ने प्रवेश लिया है।

कार्यसूची क्र.सं-x में मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न के प्रारूप (एक अंक) को सत्र 2019-20 की दिसम्बर-जनवरी माह में आयोजित मुख्य परीक्षा में एवं भविष्य के लिए भी समाप्त कर दिया है।

कार्यसूची क्र.सं xi एवं xii सांस्कृतिक समिति के अध्यक्ष के अनुसार माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोध संगोष्ठी, क्रीड़ा समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन परीक्षा के निकट नहीं किया गया एवं भविष्य में भी सभी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

कार्यसूची क्र.सं xiii को क्रियान्वित करते हुए आज की बैठक का आयोजन किया गया।

3. शिक्षा में डिप्लोमा प्रारम्भ करने पर विचार- शिक्षा छ: मासिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार हुआ। यह पाठ्यक्रम उन सभी शिक्षकों हेतु आवश्यक है जो अभी अप्रशिक्षित हैं और दो वर्षीय बी.एड (ODL) से करना चाहते हैं। अत: इसकी स्वीकृति प्रदान गई।

4. शांति पाठ के साथ सभा का समापन हुआ।

(डॉ. प्रवीण पुनिया)
कुलसचिव

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
प्रति-कुलपति

(आचार्य बालकृष्ण)
कुलपति

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक- दिनांक: 30.05.2019

1. पतंजलि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30.05.2019 को माननीय कुलाधिपति पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य एवं माननीय कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी की अध्यक्षता में गायत्री मन्त्र से प्रारम्भ हुई ।

2. अधोहस्ताक्षरी एवं बैठक के संयोजक द्वारा दिनांक 10.05.2019 की स्टैंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) में लिये गये निर्णयों एवं सुझावों को प्रस्तुत किया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

3. बैठक में बी.ए., एम.ए. एम.एस.सी, डिप्लोमा के सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

4. सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित एवं प्रासंगिक होना चाहिये । पाठ्यक्रम में ग्रंथो / सहायक ग्रंथों की सूची उपयोगी एवं सीमित होनी चाहिये, सभा के सदस्यों एवं विशेषज्ञों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि पाठ्यक्रम निर्धारण में उक्त विषय वस्तु को समाहित किया गया है ।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम रोजगारपरक हो एवं वैदिक ज्ञान पर आधारित हो, उन्होने उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य में वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (Microbiology) आदि पाठ्यक्रमों में भारतीय वैदिक ज्ञान को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाये जिससे विद्यार्थी को सैद्धान्तिक एवं कियात्मक ज्ञान प्राप्त हो सके।

6. शिक्षण प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम भी प्रारम्भ करने पर विचार किया गया, जिसमें प्रमुखता एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई ।

7. सत्र 2020-21 में निम्न पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई-
   1. बी.एड एवं BTC
   2. लोक प्रशासन में स्नातक,
   3. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक,
   4. कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक (Bachelors of Computer Application) BCA,
   5. व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (Bachelors of Business Administration) BBA,
   6. PGD in Yoga Therapy
   7. Biotech (Bachelor of Biotechnology)
   8. Biochemistry (Bachelor of Biochemistry)
   9. Industrial Chemistry (Bachelor of Industrial Chemistry)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

8. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि केवल Medical / Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता है, Non Medical / Non Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ।

9. मनोविज्ञान एवं दर्शन विषय में पी.एच.डी प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई ।

10. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न (एक अंक) के समाप्त करने पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

11. परीक्षा पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संगोष्ठी आदि को सीमित करने एवं परीक्षा के समय न करने सम्बन्धी निर्णय पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

12. माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय स्वामी जी ने निर्देश दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोध संगोष्ठी, क्रीडा समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन परीक्षा के निकट न कर सितम्बर अक्टूबर माह में करना उचित होगा, तथा इन कार्यक्रमों को सीमित अवधि में पूर्ण करना चाहिए।

13. निकट भविष्य में विश्वविद्यालय की अन्य वैधानिक बैठके सम्पन्न कराने के लिए सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किये गये ।

14. छात्र / छात्राओं हेतु नियमावली संशोधन उपरांत सभा द्वारा अनुमोदित की गयी।

15. शांति पाठ के साथ सभा का समापन हुआ ।

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
संयोजक / प्रति-कुलपति

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

दिनांक- 11-05-2019

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का कार्यवृत्त

आज दिनांक 10 मई 2019 को मध्याह्न 02:00 बजे से माननीय कुलाधिपति योगर्षि परम पूज्य स्वामी रामदेवजी एवं माननीय कुलपति आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी के पावन सानिध्य में स्टैंडिंग कमेटी की विशेष बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्य बिन्दुओं पर परिचर्चा हुई-

1. स्वागत एवं परिचय: सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी महाराज कुलाधिपति पतंजलि विश्वविद्यालय का माननीय प्रति-कुलपति जी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया तथा गायत्री मंत्रोच्चारण के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। परम पूज्य स्वामी जी द्वारा डॉ. जी. डी. शर्मा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश वि.वि. शिमला एवं डॉ. प्रवीण पूनीया जी, पूर्व डीन हिसार विश्वविद्यालय का उक्त बैठक में स्वागत एवं परिचय कराया गया।
2. पाठ्यक्रम संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश: स्टैंडिंग कमेटी ने विभिन्न पाठ्यक्रमों का अवलोकन एवं विचार करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव दिए।

2.1. पतंजलि विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों का स्तर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिये। विशेष रूप से योग विषय का पाठ्यक्रम उत्कृष्टतम होना चाहिये। अत: 11.05.2019 को योग विभाग के आचार्यगण पुन: इसका सम्यक अवलोकन कर B.O.S में प्रस्तुत करेंगे। इसमें साध्वी डॉ. देवप्रिया जी, स्वामी परमार्थ देव जी, डॉ. विजयपाल प्रचेता जी एवं डॉ. कटियार का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

2.2. दर्शन विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि वैदिक गुरुकुलम् एवं पतंजलि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समता होनी चाहिए एवं दर्शन सहित समस्त पाठ्यक्रम आरोही क्रम में हो अर्थात सरल से कठिनता की ओर। दर्शन पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हुए डॉ. प्रचेता जी ने सुझाव दिया कि पाठ्यक्रम में सहायक ग्रन्थों की सूची संलग्न हो एवं साध्वी देवमयी जी का विचार था कि पाठ्यक्रम का निर्माण स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाए तथा रामायण एवं महाभारत की सूक्तियों को दर्शन पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

2.3. पूज्य स्वामी जी महाराज ने पाठ्यक्रम में परिवर्तन कासुझाव देते हुए स्टैंडिंग कमेटी को यह दिशा निर्देश दिया कि पाठ्यक्रम में संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्देशित मौलिक दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया जाये।

2.4. बी.ए. में सम्प्रेषण अंग्रेजी (Communicative English) के स्थान पर मात्र अंग्रेजी इंगित किया जाए। अंग्रेजी का पाठ्यक्रम बनाने के लिये शीघ्र ही विषय विशेषज्ञों की बैठक निर्धारित की जाये।

Registrar
University of Patanjali
Haridwar

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्या परिषद की 06.02.2017 को हुई बैठक की कार्यवाही–

कार्यसूची संख्या 1 – सर्वप्रथम प्रो0 (डॉ0) जी0 डी0 शर्मा, कुलसचिव ने माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष विद्वत परिषद का बैठक में स्वागत किया। तदुपरान्त कुलसचिव ने विद्वत परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया इसके पश्चात माननीय कुलपति पतंजलि विश्वविद्यालय ने आॅ सभी उपोर्क्तत सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव विद्वत परिषद को कार्यवाही प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की!

कार्यसूची संख्या 2 –	विद्वत परिषद ने 04.09.2013 को सम्पन्न तृतीय विद्वत परिषद बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की।
कार्यसूची संख्या 3 –	विद्वत परिषद दिनांक 04.09.2013 को सम्पन्न बैठक लिए गए निर्णय के अनुपालन में कुलसचिव पतंजलि विश्वविद्यालय ने कार्यसूची के व्यय से कृत कार्यवाही को प्रस्तुत किया तथा इसे विद्वत परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया।
कार्यसूची संख्या 4 –	संस्कृत में स्नातक – परास्नातक सेत्वादि पाठ्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
कार्यसूची संख्या 5 –	मनोविज्ञान में स्नातक पाठ्यक्रम एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम पर सभी सदस्यों ने प्रसन्नता प्रकट की और विश्वविद्यालय में ऐसे पाठ्यक्रमों में आवश्य संशोधनों की भी अनुमति प्रदान की।
कार्यसूची संख्या 6 –	विद्वत परिषद में स्नातक (योग विज्ञान) एवं स्नोकत्तर (योग विज्ञान) के पाठ्यक्रमों एवं उनके संसोधनों पर अपने–अपने विचार रखें तथा सम्मानित सदस्यों ने सर्व सम्मति से अनुमति प्रदान की।
कार्यसूची संख्या 7 –	विद्वत परिषद ने सुझाव दिया की युनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन के नियमों के अनुसार ही Ph.D. के पाठ्यक्रम रखें जाए।
कार्यसूची संख्या 8 –	विद्वत परिषद के सभी सदस्यों ने अंग्रेजी विषय में स्नाकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम पर संतोष प्रकट किया और सर्व सम्मति से अुनमति प्रदान की।
कार्यसूची संख्या 9 –	विद्वत परिषद द्वारा पर्यटन प्रबन्धन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के दो कोर्स पर विस्तार से चर्चा की गई, तथा बी0 ए0 एवं पी0 जी0 डिप्लोमा (योग स्वास्थ्य एवं सांस्कृति पर्यटन) एम.ए. (MTTM) को बहुमत से अनुमति प्रदान की।
कार्यसूची संख्या 10 –	दर्शनशास्त्र में स्नाकोत्तर (एम.ए.) की अनुमति के लिए विद्वत परिषद के माननीय सदस्यों ने अपनी प्रसन्नता प्रकट की और सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यसूची संख्या 11 –	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2013–14, 2014–15, एवं 2015–16 के अन्तिम परीक्षाफल (Final Result of B.A./M.A./B.Sc./M.Sc./Degree Programe & P.G. Diploma) को विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
कार्यसूची संख्या 12 –	विश्वविद्यालय के वर्तमान षठमास शैक्षिक क्रार्यक्रम (Academic Calender) को विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।
कार्यसूची संख्या 13 –	किसी अन्य विषय की प्रस्तुति नहीं की गई।
कार्यसूची संख्या 14 –	शान्ति पाठ व धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्वत परिषद की समाप्ति हुई।

(आचार्य बालकृष्ण)
कुलपति एवं अध्यक्ष

(प्रो० (डॉ.) जी० डी० शर्मा)
कुलसचिव व सदस्य सचिव

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्वत परिषद की 04.09.2013 को हुई तृतीय बैठक की कार्यवाही-

<u>बैठक में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण</u>

1.	आचार्य बालकृष्ण कुलपति	:	अध्यक्ष
2.	ब्रिगेडियर (से.नि.) करतार सिंह प्रतिकुलपति	:	सदस्य
3.	प्रो. एस.सी. बागडी कुलपति हिमगिरि जी, वि.वि., देहरादून।	:	सदस्य
4.	प्रो. पी.सी. कविदयाल निदेशक, प्रबन्धन अध्ययन विभाग कुमायूँ वि.वि., नैनीताल।	:	सदस्य
5.	प्रो.(डॉ.) ईश्वर भारद्वाज विभागाध्यक्ष (योग विज्ञान) गुरूकुल कांगडी वि.वि., हरिद्वार।	:	सदस्य
6.	प्रो.(डॉ.) जी.डी. शर्मा विभागाध्यक्ष (योग विज्ञान)	:	सदस्य
7.	प्रो.(डॉ.) एस.सी. जोशी प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष प.भा.आ.एवं अनु. संस्थान, हरिद्वार।	:	सदस्य
8.	प्रो. राम कुमार शर्मा विशेष कार्यअधिकारी	:	सदस्य
9.	श्री संजय सिंह सहायक प्राध्यापक (योग विज्ञान)	:	सदस्य
10.	डॉ. नागेन्द्र कुमार नीरज प्राकृतिक चिकित्सक	:	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	प्रो.(डॉ.) जवाहर ठाकुर कुलसचिव	:	सदस्य सचिव

पतंजलि विश्वविद्यालय

सर्वप्रथम प्रो.(डॉ.) जवाहर ठाकुर, कुलसचिव ने माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, विद्वत परिषद का बैठक में स्वागत किया। तदुपरान्त कुलसचिव ने विद्वत परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। इसके पश्चात् माननीय कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय ने भी सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, विद्वत परिषद को बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।

माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष विद्वत परिषद के द्वारा सम्मानित सदस्यों के स्वागत के बाद, क्रम से बैठक की कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा हुई तथा विद्वत परिषद ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओं को अनुमोदित किया।

कार्यसूची संख्या 2. विद्वत परिषद (Academic Council) ने 19.07.2012 को विद्वत परिषद की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की।

कार्यसूची संख्या 3. विद्वत परिषद (Academic Council) की बैठक 19.07.2012 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय ने कार्यसूची के क्रम से कृत कार्यवाही को प्रस्तुत किया तथा इसे विद्वत परिषद द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 4. विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को सम्मिलित किए जाने पर विद्वत परिषद ने घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की। तत्पश्चात् संस्कृत के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गयी। चर्चा के उपरान्त, अध्यक्ष, विद्वत परिषद एवं सम्मानित सदस्यों के द्वारा कुछ आवश्यक सुझाव दिए गए जो निम्न प्रकार है।

(i) संस्कृत विषय को स्नातक छात्र/छात्राओं के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालने के सुझाव दिए गए।

(ii) संस्कृत विषय को पढ़ाने के माध्यम (Method of teaching) को स्पष्ट करने के सुझाव दिए गए।

(iii) बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षाओं के अलग–अलग प्राप्तांक के विवरण की स्पष्टता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता महसूस की गयी।

(iv) छात्र/छात्राओं के लिए संस्कृत विषय से सम्बन्धित पुस्तकों का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण एवं प्रकाशन वर्ष की जानकारी उपलब्ध कराने के सुझाव दिए गए।

(v) वर्तमान में प्रस्तुत पाठ्यक्रम में आंशिक रूप से संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई।

तत्पश्चात् निर्णय लिया गया कि उपरोक्त सुझाव के साथ संशोधित

पतंजलि विश्वविद्यालय

संस्कृत पाठ्यक्रम को माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष विद्वत परिषद, पतंजलि विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा लिया जाए एवं उसकी सूचना आगामी विद्वत परिषद की बैठक में दी जाये।

कार्यसूची संख्या 5. इस कार्यसूची के अन्तर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में वर्तमान सत्र 2013-14 से स्नातकोत्तर स्तर पर मनोविज्ञान (Psychology) की कक्षा/पढ़ाई प्रारम्भ करने की स्वीकृति तथा इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा एवं अनुमोदन के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त विद्वत परिषद ने मनोविज्ञान (Psychology) विषय को वर्तमान सत्र में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके पाठ्यक्रम पर चर्चा के पश्चात् कुछ सुझाव (Suggestion) दिए गए, जो निम्न प्रकार है।

(i) माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिया कि मनोविज्ञान (Psychology) विषय के अन्तर्गत प्रस्तुत पाठ्यक्रम में एक 100 प्राप्तांक का Yogic Psychology का पेपर सम्मिलित किया जाय, जिसमें 75 प्राप्तांक सैद्धान्तिक तथा 25 प्राप्तांक प्रायोगिक विषय के रखे जाये।

(ii) सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि प्रथम षड्मास (First Semester) में पढ़ाये जाने वाले Research Methodology के विषय को तृतीय षड्मास (Third Semester) में पढ़ाया जाये तथा इसके स्थान पर द्वितीय अथवा तृतीय षड्मास (First or Third Semester) के किसी उपर्युक्त विषय को प्रथम षडमास (First Semester) में पढ़ाया जाये। साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि Research Methodology Course के अन्तर्गत SPSS (Statistical Package for Social Science) software की भी जानकारी छात्र/छात्राओं को दी जाये।

कार्यसूची संख्या 6. इस कार्यसूची के अन्तर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर डिप्लोमा (योग विज्ञान) के योग विषय तथा एम.ए./एम.एससी (योग विज्ञान) के पाठ्यक्रमों में किए गए आंशिक संशोधन के प्रस्ताव को विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 7. विश्वविद्यालय द्वारा योगग्राम में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान के अन्तर्गत थैरापिस्ट (Therapist) का छः मासिक प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (Six Monthly Certificate Course) प्रारम्भ करने पर विस्तार से चर्चा हुई तथा इस पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। Therapist Course प्रारम्भ करने के चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने निम्न सुझाव दिए।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

(i) Therapist Course की आवश्यकता एवं उपयोगिता को देखते हुए इस पाठ्यक्रम को छः महीने के Certificate Course के स्थान पर एक/दो वर्ष का Diploma Course प्रारम्भ किया जाये।

(ii) वर्तमान में प्रारम्भ किए गए Certificate Course में छात्र/छात्राओं की सुविधा के लिए लेखक, प्रकाशक के नाम के साथ Reference Books के नामों का भी उल्लेख किया जाये।

(iii) पाठ्यक्रम के दौरान एवं इसकी समाप्ति पर होने वाली परीक्षाओं, उसके प्राप्तांक तथा प्राप्तांक के वितरण (Distribution of Marks) का उल्लेख करना आवश्यक है।

(iv) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सैद्धान्ति एवं प्रायोगिक विषय के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने पर भी प्रकाश डाला गया।

कार्यसूची संख्या 8. विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए तैयार नियमावली (Academic Regulation) पर बिन्दुवार चर्चा हुई। तत्पश्चात् निर्णय लिया गया कि वर्तमान नियमावली को और अधिक Comprehensive रूप के साथ आगामी विद्वत परिषद में प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची संख्या 9. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2012-13 में उत्तीर्ण स्नातक, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं के अंतिम परीक्षाफल (Final Results of B.A./M.A./M.Sc Degree Programs and P.G. Diploma)को विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 10. विश्वविद्यालय के वर्तमान षठमास के शैक्षणिक कार्यक्रम (Academic Calendar)को विद्वत परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 11. किसी अन्यान्य विषय की प्रस्तुति नहीं की गयी।

कार्यसूची संख्या 12. धन्यवाद ज्ञापन के साथ विद्वत परिषद की तृतीय बैठक की समाप्ति हुई।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

अनुमोदित

(आचार्य बालकृष्ण)
कुलपति एवं
अध्यक्ष

08.07.2013
(जवाहर ठाकुर)
कुलसचिव एवं
सदस्य सचिव

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्या परिषद की 19.07.2012 को हुई द्वितीय बैठक की कार्यवाही-

<u>*बैठक में उपस्थित सम्मानित सदस्यगण*</u>

1.	ब्रिगेडियर (से.नि.) करतार सिंह, प्रतिकुलपति	:	अध्यक्ष
2.	प्रो0 ए0सी0 बागड़ी	:	सदस्य
3.	प्रो0 पी0सी0 कविदयाल	:	सदस्य
4.	डॉ0 सतेन्द्र मित्तल	:	सदस्य
5.	प्रो0 (डॉ0) ईश्वर भारद्वाज	:	सदस्य
6.	प्रो0 (डॉ0) जी0डी0 शर्मा	:	सदस्य
7.	प्रो0 (डॉ0) एस0सी0 जोशी	:	सदस्य
8.	श्री संजय सिंह	:	सदस्य
9.	डॉ0 अनीता यादव	:	सदस्य
10.	डॉ0 हेमन्त कुमार बिष्ट	:	सदस्य
11.	प्रो0 राम कुमार शर्मा (विशेष कार्यअधिकारी)	:	सदस्य
12.	प्रो0 (डॉ0) जवाहर ठाकुर (कुलसचिव)	:	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम प्रो0(डॉ0) जवाहर ठाकुर, कुलसचिव ने माननीय प्रतिकुलपति एवं अध्यक्ष, विद्या परिषद का बैठक में स्वागत किया। तदुपरान्त कुलसचिव ने विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। इसके पश्चात् माननीय प्रतिकुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय ने भी सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन किया तथा कुलसचिव एवं सदस्य सचिव, विद्या परिषद से बैठक की कार्य सूची प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की।

माननीय प्रतिकुलपति एवं अध्यक्ष विद्या परिषद के द्वारा सम्मानित सदस्यों के स्वागत के बाद, क्रम से बैठक की कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा हुई तथा विद्या परिषद ने सर्वसम्मति से निम्नलिखित बिन्दुओं को अनुमोदित किया।

कार्यसूची संख्या 2. विद्या परिषद की 17.10.2011 की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि।

विद्या परिषद ने विद्या परिषद की 17.10.2011 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यसूची संख्या 3. विगत विद्या परिषद की बैठक की कार्यवाही की कृत कार्यवाही की प्रस्तुति।

विद्या परिषद की 17.10.2011 को सम्पन्न प्रथम बैठक की कृत कार्यवाही को कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय ने क्रम से प्रस्तुत किया तथा इसे विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 4. पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं का विश्वविद्यालय में पंजीकरण (Enrolment/Registration) पर चर्चा

कुलसचिव ने सदस्यों को बताया कि, प्राय: ऐसा पाया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रम में नामांकन के पश्चात् छात्र/छात्राएं अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) विश्वविद्यालय कार्यालय में समय से जमा नहीं करते हैं। फलस्वरूप उनका (Regulor Enrolment/Registration) नहीं हो पाता है तथा उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश Provisional मिल जाता है। अत: सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रत्येक छात्र/छात्रा (जहाँ अपेक्षित है)विश्वविद्यालय में नामांकन के पश्चात् प्रथम षडमास के अंतिम परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अपना प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करा दें।

कार्यसूची संख्या 5. विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को प्रवजन पत्र (Migration Certificate) निर्गत करने पर चर्चा।

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवजन-पत्र (Migration Certificate) निर्गत करने पर चर्चा हुई तथा यह निर्णय लिया गया कि वैसे सभी उत्तीर्ण छात्र/छात्रा, जो आगे की अपनी पढ़ाई, पतंजलि विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में करना चाहते हैं, उन्हें प्रवजन-पत्र (Migration Certificate) प्रदान किया जाये। जिसके लिए कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional/ Degree/Diploma Certificate) संबंधी चर्चा।

विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है, जब तक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को दीक्षांत समारोह में स्थाई उपाधि (Original Degree) नहीं प्रदान की जाती है, तब तक, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अस्थायी प्रमाण-पत्र (Provisional

Degree Certificate) प्रदान कर दिया जाये। तत्पश्चात् विभिन्न उपाधियों के लिए दिए जाने वाले अस्थायी प्रमाण-पत्र के प्रारूप को चर्चा के उपरान्त अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची संख्या 7. विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय को सम्मिलित किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति एवं उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा।

विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय के लिए तैयार विषय वस्तु (Course Content) पर विस्तृत चर्चा के बाद, इसे Board of Studies में पुनः चर्चा एवं संशोधन के लिए भेजने का निर्णय लिया गया।

कार्यसूची संख्या 8. व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अनुशंसित योग विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों का निर्धारण।

विस्तृत चर्चा के उपरान्त, यह निर्णय लिया गया कि पतंजलि विश्वविद्यालय में योग की महत्ता को देखते हुए, योग विज्ञान संकाय में योग विज्ञान ही रखा जाये।

कार्यसूची संख्या 9. स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाली उपाधियों पर हस्ताक्षर पर चर्चा।

इन विषयों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान करने वाली सभी Degree/Diploma Certificate केवल विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) के हस्ताक्षर से निर्गत किए जाए।

कार्यसूची संख्या 10. एम.ए./एम.एस-सी. के घोषित परिणाम की घटनोत्तर स्वीकृति।

परीक्षा परिणामों की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

कार्यसूची संख्या 11. विश्वविद्यालय के आगामी षडमास के शैक्षणिक कार्य (Academic Calendar) की स्वीकृति।

विश्वविद्यालय के अगस्त 2012 से प्रारम्भ होने वाले शैक्षणिक (Academic Calendar) को स्वीकृत किया गया।

कार्यसूची संख्या 12. स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों में उत्तीर्णता के न्यूनतम अंक (Minimum Marks) पर चर्चा।

स्नातक पाठ्यक्रम के विषयों में उत्तीर्णता के न्यूनतम अंक (Minimum Marks), जो वर्तमान में 36 प्रतिशत अलग-अलग विषयों में तथा 40 प्रतिशत कुल अंक (Aggregate Marks) के आधार पर, अपनी स्वीकृति प्रदान की। लेकिन सैद्धांतिक विषयों (Theory Paper) के बाह्य परीक्षा (External Examination)

के न्यूनतम अंक (Minimum Marks) की अनिवार्यता पर विभिन्न तरह के सुझाव सदस्यों ने दिये। तदुपरान्त, निर्णय लिया गया कि आगामी विद्या परिषद की बैठक में इस विषय को पुनः प्रस्तुत किया जाये।

कार्यसूची संख्या 13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा के अनुरूप मुक-वधिर छात्र/छात्राओं के लिए Sign Language Department के सृजन पर चर्चा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अनुशंसा के अनुरूप मूक-वधिर छात्र/छात्राओं के लिए Sign Language Department के सृजन की सहमति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या 14. अन्याय विषय यदि कोई हो।

चर्चा के लिए अन्य कोई विषय प्रस्तुत नहीं किया गया।

कुलसचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(प्रति-कुलपति) (कुलसचिव)

विश्वविद्यालय हरि...

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
उत्तराखण्ड

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्या परिषद की 17.10.2011 को सम्पन्न प्रथम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्ति विवरण-

कार्यावली संख्या-1 : पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 के अन्तर्गत विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावाली, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल की दिनांक 21.04.2012 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

कार्यावली संख्या-2 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-3 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-4 : विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार शैक्षिणक सत्र 2012-13 से पीएच.डी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई-2012 निर्धारित की गयी है।

कार्यावली संख्या-5 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निम्नलिखित दो प्राध्यापक पीएच.डी शोध के लिए गाईड (Supervisor) के रूप में उपयुक्त पाए गए हैं।

(1) डॉ0 जी0डी0 शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग

(2) डॉ0 सरले टेरिस, प्राध्यापक, योग विज्ञान विभाग

कार्यावली संख्या-6 : दिनांक 19.07.2012 की विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गाया है।

विश्वविद्यालय हरिद्वार

शेष पेज दो पर

कार्यावली संख्या-7 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-8 : अंकित किया गया ।

कार्यावली संख्या-9 : शैक्षिणक सत्र 2012-13 में होने वाले नामांकन में दर्शनशास्त्र को बी.ए. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

कुल सचिव

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पत्रांक: UOP/BOM/2022/353 दिनांक: 28.12.2022

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल (Board of Management) की तृतीय बैठक दिनांक 16.12.2022 अपराह्न 04:00 बजे पतंजलि विश्वविद्यालय, प्रशासनिक भवन के भूतल स्थित समागार कक्ष

आज दिनांक 16 दिसम्बर 2022 को अपराह्न 4:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की बैठक; मंत्रोच्चारण के साथ प्रारम्भ हुई। प्रबन्ध मण्डल बैठक की कार्यवाही को प्रारंभ किये जाने हेतु सचिव (कुलसचिव) महोदया द्वारा परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्यश्री को चरण वन्दन करते हुए बैठक की कार्यसूची के अनुसार एजेण्डा को प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों के सामने रखने की स्वीकृति के लिए अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी एवं अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार प्रारम्भ हुई।

बैठक में माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज, माननीय कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य श्री; पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित डॉ. एन.पी.सिंह, श्री ललित मोहन, श्री सतेन्द्र मित्तल, प्रो. महावीर अग्रवाल; कुलाधिपति द्वारा नामित दो संकायाध्यक्ष डॉ. साध्वी देवप्रिया, डॉ. ओम नारायण तिवारी; ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से दो प्राध्यापक डॉ तोरण सिंह, डॉ. अरविन्द कुमार सिंह; विशेष आमंत्रित सदस्य डॉ. के.एन.एस. यादव, डॉ. वी.के. कटियार, श्री वी.सी. पाण्डेय एवं सचिव प्रबन्ध मण्डल कुलसचिव डॉ. प्रवीण पुनिया उपस्थित रहें।

क्र. सं.	कार्यवृत्त – चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	कार्यसूची–1 पूर्व में दिनांक 18.3.2021 को आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक में अनुमोदित कार्यवृत्त पर की गई कार्यवाही	प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि :– i) प्रथम दीक्षान्त समारोह दिनांक 28.11.2021 को सम्पन्न हुआ, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय मुख्य अतिथि रहे। समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्नातकों व परास्नातकों को स्वर्णपदक प्रदान किये गये तथा स्नातक, परास्नातक व डाक्टरेट (विद्या–वाचस्पति) की डिग्रीयाँ भी दी गई। ii) शैक्षणिक सत्र 2021–22 से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय के अर्न्तगत बी.एन.वाई.एस एवं डी.एन.वाई.टी पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की टीम द्वारा किये गए निरीक्षण एवं अति उत्कृष्ट रिपोर्ट की जानकारी दी गयी। iv) वर्ष 2021–22 से सभी संकाय सदस्यों का मूल्यांकन स्वमूल्यांकन के सम्बन्ध में स्वीकृत प्रारुप के अनुसार ही किया गया है।
2.	कार्यसूची–2 दिनांक 29.12.2020 की व्यवस्थापक मण्डल की बैठक में माननीय सदस्यों द्वारा निर्देशित छः माह के प्रत्येक सार्टिफिकेट कोर्स तथा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे कौशल विकास पाठ्यक्रमों को सत्र 2023–24 से संचालित किये जाने हेतु पाठ्यक्रमों की रूपरेखा सम्बन्धी विषयक – i) आपदा प्रबन्धन – अवधि छः माह	विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय और मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकायों में निम्न पाठ्यक्रमों की रूपरेखा नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार तैयार कर, नये सत्र से नई शिक्षा नीति 2020 के लागू किये जाने के साथ ही मार्च 2023 तक तैयार कर लागू कराने हेतु निम्न सदस्यों को जिम्मेदारी प्रदान की गयी:– i) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत – डॉ. वी के. कटियार संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध के मार्गदर्शन में डॉ. सत्येन्द्र मित्तल तथा डॉ. अरविन्द कुमार सिंह छः माह के आपदा प्रबन्धन का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। माननीय सदस्य डॉ. सतेन्द्र मित्तल ने जानकारी दी कि वे इस विषय को उनके संस्थान आई.आई.टी रुड़की में पढ़ा रहे हैं अतः इस कोर्स को बनवाने और पढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार हैं। **(कार्यवाही–डॉ. वी. के. कटियार)**

क्रमशः 2

	ii) कम्प्यूटर प्रशिक्षण – अवधि छः माह iii) संस्कृत में विज्ञान – अवधि एक वर्षीय डिप्लोमा	ii) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत – डॉ. वी. के. कटियार संकायाध्यक्ष–शिक्षण एवं शोध के मार्गदर्शन में डॉ. अरविन्द कुमार सिंह तथा डॉ. निर्विकार छः माह के कम्प्यूटर प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। (कार्यवाही–डॉ. वी. के. कटियार) iii) प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत – डॉ. साध्वी देवप्रिया, संकायाध्यक्ष–मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के मार्गदर्शन में डॉ. सोमदेव शतांशु, डॉ. विजयपाल शास्त्री एक वर्षीय डिप्लोमा संस्कृत में विज्ञान का पाठ्यक्रम मार्च 2023 तक तैयार करने हेतु। (कार्यवाही–डॉ. साध्वी देवप्रिया)
3.	कार्यसूची–3 i) पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया	कुलसचिव महोदय ने प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थित माननीय सदस्यों को जानकारी दी कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 में पी.एच–डी प्रवेश प्राप्त करने हेतु कुल 154 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिसमें अलग–अलग विषयानुसार 1. योग विज्ञान– 127 (नेट–31 एवं जेआरएफ–12), 2. दर्शनशास्त्र– 01 (जेआरएफ–01), 3. संस्कृत– 06 (नैट–01), 4. संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान–01, 5. मनोविज्ञान–18, 6. बॉयोटेक–01 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तदुपरान्त माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के इस विषय से सम्बन्धित नियमों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त की। **1) पी.एच.डी पाठ्यक्रम में प्रवेश किन–किन को दे सकते है –** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना 7 नवम्बर 2022 के बिन्दु संख्या 5 प्रवेश की प्रक्रिया के अन्तर्गत पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है:– क) उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी–नेट/यूजीसी–सीएसआईआर नेट/गेट/सीईईडी और इसी तरह के राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में अध्येतावृत्ति/छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रवेश दे सकते है। और /या ख) उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते है। प्रवेश परीक्षा में 50% प्रश्न शोध पद्धति तथा 50% विशिष्ट विषय के पूछे जाएंगे। ग) प्रवेश परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे। घ) आयोग द्वारा समय–समय पर लिए गये निर्णय के अनुसार अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए प्रवेश परीक्षा में 5% अंकों की छूट की अनुमति दी जाएगी। ङ) उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने वाले पात्र छात्रों की संख्या तय कर सकते है। च) बशर्ते कि, उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए 70% और साक्षात्कार /मौखिक परीक्षा में परीक्षा के लिए 30% का महत्व दिया जायेगा।

क्रमशः 3

2) पी.एच.डी पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों और शोधार्थियों को गाईड करने वाले पर्यवेक्षक एवं संकाय सदस्यों के विषय में भी माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के बारे में निम्नलिखित जानकारी ली–

पीएच.डी कराने के लिए गाईड के सम्बन्ध में – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना 7 नवम्बर 2022 के बिन्दु संख्या– 6 में वर्णित शोध पर्यवेक्षक का निर्धारण– शोध पर्यवेक्षक, सह–पर्यवेक्षक, बनने हेतु पात्रता मानदण्ड, प्रति पर्यवेक्षक के लिए अनुमेय पीएचडी शोधार्थियों की संख्या, आदि नियमों के अनुसार

1. किसी एक समय में एक पात्र प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर क्रमशः आठ (8)/ छह (6)/चार (4) पीएच.डी. छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
2. अंतर्विषयक/बहुविषयक अनुसंधान कार्य के मामले में, यदि आवश्यक हो, विभाग/ स्कूल/ केंद्र/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय के बाहर से एक सह–पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है।
3. ऐसे संकाय सदस्य जिनकी सेवानिवृत्ति को तीन वर्ष से कम की अवधि बची है उन्हें अपने पर्यवेक्षण में नये शोधार्थियों को लेने की अनुमति नहीं होगी। बशर्ते कि, हालाँकि, ऐसे संकाय अपनी सेवनिवृत्ति तक पहले से ही पंजीकृत शोधार्थियों का पर्यवेक्षण जारी रख सकते है और सेवानिवृत्ति के पश्चात् सह–पर्यवेक्षक के रूप में 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ही कार्य कर सकते है उसके बाद नहीं।

कुलसचिव महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) के द्वारा उपलब्ध कराई गई कार्यसूची 3(i) के अन्तर्गत पृष्ठ 19 पर लगी सूची के बारे में बताया।

अतः उपरलिखित नियमों व वर्तमान में पतंजलि विश्वविद्यालय के पीएच.डी. पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों में पर्यवेक्षकों (supervisors) के पास पहले से पंजीकृत शोधार्थियों व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ऊपरलिखित क्रमशः 1, 2 और 3 पर दी गई अधिसूचनां के अनुसार वर्तमान में रिक्त स्थानों का विवरण निम्नवत है:–

	पर्यवेक्षक का नाम	कुल सीट	रिक्त सीट
अपने ख्याति प्राप्त कार्यक्षेत्र विषयक (प्रोफेसर)	परम पूज्य स्वामी जी	8	8
	श्रद्धेय आचार्य जी	8	8
प्रोफेसर (योग विज्ञान)	डॉ. ओमनारायण तिवारी	8	8
सहायक प्रोफेसर (योग विज्ञान)	डॉ. संजय सिंह	4	1
	डॉ. नरेन्द्र सिंह	4	1
	डॉ. रूद्र भण्डारी	4	2
	डॉ. सन्दीप सिंह	4	2
	डॉ. आरती पाल	4	4
प्रोफेसर (दर्शनशास्त्र)	डॉ. साध्वी देवप्रिया	8	3
सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान)	डॉ. वैशाली गौड	4	2
योग		56	39

नोट : प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी शोधार्थियों की निर्धारित संख्या से ऊपर दो अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों को अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन करा सकता है।

क्रमशः 4

		अतः प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों द्वारा विचार/विमर्श के उपरांत उपरोक्त तालिका में विभाग एवं पर्यवेक्षक के अर्न्तगत रिक्त सीटों (रिक्त स्थानों की संख्या योग साइंस में – 34, दर्शनशास्त्र में–3, मनोविज्ञान में–2) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना के अनुसार भरे जाने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पीएचडी गाईडलाईन के अनुसार गाईड निर्धारण किये जाने हेतु निर्देशित किया। जिन शोधार्थियों का पंजीकरण जिन शिक्षकों के निर्देशन में हो चुका है, वे शोध कार्य पूर्ण होने तक निर्देशक बने रहेंगे। (कार्यवाही– प्रतिकुलपति, कुलसचिव, संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, सम्बन्धित संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान विभाग प्रवेश हेतु, संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय)
ii)	स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पात्रता, सत्र 2023–24 हेतु	शैक्षणिक सत्र 2022–23 की प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेश प्रक्रिया को स्वीकृत किया। महत्वपूर्ण तिथियाँ 2023 के कैलेंडर उपलब्ध होने पर निश्चित कर ली जायें। सारी आवश्यक कार्यवाही– विवरणिका 2023–24 आदि को तैयार करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाही– कुलसचिव)
iii)	शैक्षणिक सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति–2020 लागू करना।	शैक्षणिक सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति–2020 को लागू करने के विषय पर – प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों को यू.जी.सी. के चयन आधारित क्रेडिट संशोधित प्रणाली के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित गाईडलाईन को भी ध्यान में रखते हुए शीघ्रताशीघ्र तैयार करने को कहा। नई शिक्षा नीति 2020 के कियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय में गठित समिति स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा वर्ष वार 31 मार्च, 2023 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ले, जिससे उसे अप्रैल–मई 2023 में विद्या परिषद की बैठक में शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू करने के लिए प्रस्तुत किया जाये। (कार्यवाही– डॉ. के.एन.एस. यादव के मार्गदर्शन में समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष)
iv)	पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी की संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर ही पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति।	पाठ्यक्रमों में प्रवेशार्थी की संख्या 10 या 10 से अधिक होने पर ही पाठ्यक्रम को संचालित करने की अनुमति विषय को विचार–विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि – क) पतंजलि विश्वविद्यालय के उदेद्श्य के अनुसार कुछ विभागों में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या 10 से कम रहने पर भी पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति उपरान्त ही किया जाय। ख) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों के बारे में अखबारों में विज्ञापन दिया जाय, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संख्या ज्यादा बढ़े। (कार्यवाही– कुलसचिव कार्यालय)
v)	विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कामकाज के लिए संकायों एवं विभागों तथा उनके अन्तर्गत विषयों का पुनर्गठन।	इस सन्दर्भ में प्रबन्ध मण्डल के माननीय सदस्यों को कुलसचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 20.10.2022 को अधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि – 'वर्तमान में कुछ विभागों – मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पर्यटन एवं संगीत विभागों में प्रवेशार्थियों की संख्या 10 से कम होने से, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्ताव न होने से ये विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करेंगे। अतः इन विभागों का पुनः वर्गीकरण किया जाये तथा उपरोक्त विभागों के समस्त शिक्षकों को अन्य विभाग में समायोजित किया जाये।' जो निम्नवत् है: क) मनोविज्ञान, अंग्रेजी, पर्यटन एवं संगीत विभागों में पी.जी. कार्सेज ऑफर न होने से यह विभाग स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करेंगे। उक्त विभागों के समस्त शिक्षकों को अन्य विभाग (योग विज्ञान, संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान, दर्शनशास्त्र एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग) में समायोजित किया जाए।

क्रमशः 5

		ख) योग विज्ञान संकाय के अन्तर्गत– योग विज्ञान विभाग एवं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान विभाग ग) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत– संबद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान विभाग घ) मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत– दर्शनशास्त्र विभाग एवं संस्कृत विभाग ङ) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय– प्राकृतिक चिकित्सा अतः माननीय सदस्यों द्वारा विभागों को अन्य संकायों के अन्तर्गत समायोजित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की। कार्यवाही– प्रति–कुलपति, कुलसचिव, उप–कुलसचिव, संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय, संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान संकाय
4.	कार्यसूची–4 विद्या परिषद से अनुमोदित एवं प्रबन्ध मण्डल से संस्तुति हेतु i) नवीन पाठ्यक्रम मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस, बी.पी.एड, एम.एस–सी बायोकेमिस्ट्री एवं बी.एस–सी माइक्रोबायलॉजी को वर्ष 2023–24 से प्रारम्भ किये जाने एवं रूपरेखा तैयार करने विषयक	क) मास्टर ऑफ स्पोर्टस साईस, बी.पी.एड, एम.एस–सी बायोकेमिस्ट्री एवं बी.एस–सी माइक्रोबायलॉजी को वर्ष 2023–24 से संचालित करने हेतु नई शिक्षा नीति–2020 के अनुसार पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाए। ख) उक्त नवीन पाठ्यक्रम विभागीय बोर्ड ऑफ स्टडीज के अनुमोदन के उपरांत विद्या परिषद की स्वीकृति हेतु अग्रसारित किये जाय जिसके उपरान्त ही नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू किया जाएगा। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– शिक्षण एवं शोध, संकायाध्यक्ष– योग विज्ञान संकाय
	ii) शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय वादन आदि स्नातक/ परास्नातक पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय में संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय के अन्तर्गत शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन एवं शास्त्रीय वादन सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ में डिप्लोमा स्तर पर नई शिक्षा नीति के अनुसार रूपरेखा तैयार करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकाय।
	iii) विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal) एवं कुलपति पदक (Vice-Chancellor Medal)– उन स्नातक, परास्नातक छात्र एवं छात्राओं को प्रदान करने हेतु जिन्होंने अपने उत्कृष्ट एवं अथक प्रयासों से अनुसंधान एवं शिक्षा के माध्यम से कक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है, इन्हें सम्मनित किये जाने हेतु – नियमावली बनाने के लिए स्वीकृति।	कुलाधिपति पदक (Chancellor Medal) एवं कुलपति पदक (Vice-Chancellor Medal) से सम्बधित नियमावली बनाने हेतु कुलसचिव कार्यालय में जिम्मेदारी सौंपी गयी। इसी क्रम में डॉ. सतेन्द्र मित्तल जी द्वारा इस हेतु 04 लाख की धनराशि दिये जाने की घोषणा की गयी जिसका समस्त सदस्यों ने करतल ध्वनि से इसकी प्रशंसा की। (माननीय सदस्य डॉ. सतेन्द्र मित्तल द्वारा पूर्व में भी 01 लाख की धनराशि दी जा चुकी है) (कार्यवाही– कुलसचिव/वित्ताधिकारी)

क्रमशः 6

	iv) बी.एन.वाई.एस के पाठ्यक्रम में आंशिक संशोधन।	क) बी.एन.वाई.एस पाठ्यक्रम में अगले वर्ष 2023 तक सीटें न बढ़ाने का निर्णय प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया। ख) प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय को मार्च 2023 तक पतंजलि योगपीठ, फेस–1 में स्थानांतरित किये जाने की घोषणा पतंजलि विश्वविद्यालयस के माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा की गयी। कार्यवाही– संकायाध्यक्ष– प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान संकाय।
5.	कार्यसूची–5 दिनांक 27.5.2022 को आयोजित विद्या परिषद की बैठक से अनुमोदन उपरानत व प्रबन्ध मण्डल मा. कुलपति (पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के अध्याय–IV मे बिन्दु संख्या 4. 3.7) द्वारा पारित। अतः वर्तमान में कार्योत्तर मंजूरी (Post Facto) के बाद पारित करने हेतु।	निम्नलिखित कार्यसूची 5(i), (ii) और (iii) को कार्योत्तर मंजूरी (Post Facto) की स्वीकृति प्रदान की गयी। i) विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों को CBCS System के अनुसार ii) परीक्षा विभाग से सम्बन्धित परीक्षा नियमों में संशोधन हेतु। iii) विश्वविद्यालय शिक्षण शुल्क में वृद्धि व छात्रों द्वारा देय बकाया राशि से संबंधित
6.	कार्यसूची–6 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों हेतु सूचनार्थ i) संकायाध्यक्ष व अन्य शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति से सम्बन्धित– सूचनार्थ ii) योग में, यज्ञ में एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि दिया जाना – सूचनार्थ	i) विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष व अन्य शैक्षणिक पदों पर की गई नियुक्ति के सम्बन्ध में कुलसचिव महोदया द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया जिस पर प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। ii) योग में, यज्ञ में एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में 95 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने के निर्णय की प्रबन्ध मण्डल की बैठक में उपस्थिति सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि से प्रशंसा की गयी।
7.	कार्यसूची–7 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई विषय। i) वार्षिक वित्तीय बजट ii) रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) में संशोधन iii) हस्ताक्षरित किए गए MOU सम्बन्धित जानकारी iv) विश्वविद्यालय अनुशासन समिति की Post Facto अनुमति एवं संशोधन	i) विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय बजट की प्रस्तुति वित्ताधिकारी महोदय द्वारा प्रस्तुत की गयी, जिसको स्वीकृत किया गया। ii) प्रस्तावित रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) को भी स्वीकृति प्रदान की गयी। (कार्यवाही – कुलसचिव एवं सभी संकायाध्यक्ष) iii) विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के मध्य हस्ताक्षरित हुए MOU की जानकारी प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को दी गयी। iv) विश्वविद्यालय अनुशासन समिति की कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की गयी एवं आगामी अनुशासन समिति की रूपरेखा कुलानुशासिका डॉ. साध्वी देवप्रिया जी द्वारा तैयार की जाएगी। (कार्यवाही– डॉ. साध्वी देवप्रिया, कुलानुशसिका)

क्रमशः 7

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

	v) शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के योग, साईस और प्राच्य विद्या संकाय के विद्यार्थियों के प्रथम अर्ध सत्र सेमेस्टर की सीबीसीएस प्रणाली में संचालित परीक्षा एवं परिणाम से साम्बन्धित	परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि शैक्षणिक सत्र 2022–23 में प्रवेश प्राप्त प्रथम वर्ष के योग साईस और प्राच्य संकाय के विद्यार्थियों के प्रथम अर्ध सत्र सेमेस्टर की सीबीसीएस प्रणाली में संचालित परीक्षा एवं परिणाम हेतु अधिसूचना परीक्षा नियंत्रक को प्राप्त नहीं हुआ है; जिसके लिए संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) को इस हेतु कार्यवाही करने के लिए कहा ताकि परीक्षा परिणाम का कार्य सुचारू रूप से सही समय पर हो सके। (कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – शिक्षण एवं शोध)
	vi) दूरस्थ शिक्षा (ODL)	माननीय कुलपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि दूरस्थ शिक्षा में फैकेल्टी ऑनलाईन पढ़ायेगे और शुल्क भी निर्धारित करना होगा। ऑनलाईन पाठ्यक्रम कोर्स की रूपरेखा मार्च 2022 तक तैयार कर लें। (कार्यवाही – संकायाध्यक्ष – शिक्षण एवं शोध)
	vii) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) से सम्बन्धित	माननीय कुलाधिपति परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के NAAC सम्बन्धी कार्यो के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य हेतु उनकी 10–15 लोगों की टीम विश्वविद्यालय में निरीक्षण करके आवश्यक सहायता दे सकती है। (कार्यवाही – प्रति–कुलपति एवं डॉ. के.एन.एस यादव)

अन्त में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बैठक मे उपस्थित प्रबन्ध मण्डल के समस्त गणमान्य सदस्यों को अपना आशीर्वाद देते हुए श्रद्धेय आचार्य श्री को भी अपना आशीष देने के लिए कहा। माननीय कुलपति महोदय ने सभी को सम्बोधित करते हुए कहा कि "विश्वविद्यालय का ढांचा, दृश्य, स्वरूप बड़ा हो गया है कुछ कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और कुछ शेष हैं, जिसे सब लग करके यथा समय पूर्ण कर लेंवे।" बैठक के कार्यवृत्त पर समय से कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सभी को निर्देशित किया।

शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति–कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

प्रबन्ध मण्डल (Board Of Management) की प्रथम बैठक दिनांक 13.03.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे

कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 13 मार्च 2020 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रबन्ध मण्डल की प्रथम बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार विस्तृत चर्चा एवं विचार-विमर्श उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र. सं.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित छठीं विद्वत् परिषद की बैठक में कार्यवृत्त क्र.सं. 04 के अर्न्तगत पुष्टि एवं दीक्षान्त समारोह आयोजन के सम्बन्ध में उल्लिखित बिन्दुओं (i से vii) तक चर्चा उपरान्त प्रबन्ध मण्डल की बैठक से स्वीकृति हेतु अनुमोदन।	दिनांक 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद की बैठक में अनुमोदित निम्न बिन्दुओं पर प्रबन्ध मण्डल में चर्चा उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी- i. दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण: विद्वत् परिषद में निर्धारित 31 मार्च 2020 की तिथि को दीक्षान्त समारोह के मुख्य अतिथि की उपलब्धि व अनुकूलता अनुसार निश्चित किये जाने के लिये मा0 कुलाधिपति को वार्ता कर सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया। ii. स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच.डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप- विद्वत् परिषद में प्रस्तुत प्रारूप प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया। iii. दीक्षान्त समारोह वेशभूषा- दीक्षान्त समारोह में पहने जाने वाली वेशभूषा को स्वीकृत कर प्रक्रिया को तीव्र गति से पूर्ण कराने के लिए कहा। iv. उपाधि- (अ) वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए.,एम.एस.सी., पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (ब) पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। v. स्वर्ण पदक- (क) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता सत्र 2019 20- प्रत्येक पाठ्यक्रम में कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले व न्यूनतम 70% एवं उससे अधिक प्राप्तांक वाले

पतंजलि विश्वविद्यालय

		स्नातक/परास्नातक को अन्य निर्धारित नियमों के अनुसार ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। सत्र 2020-21 से आगे अग्रिम निर्देशों तक न्यूनतम 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही ऐसे स्नातक/परास्नातक को एक कक्षा में एक ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। (ख) स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही न हुयी हो। (ग) सभी सेमेस्टर में किसी भी विषय में पुर्नपरीक्षा न दी हो। (घ) स्नातक/परास्नातक पर किसी भी प्रकार का शुल्क आदि बकाया न हो तथा उसने अदेय प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग में जमा कर दिया हो। (ङ) अन्य सभी नियमों के अनुसार सफल होने पर ही सम्बन्धित स्नातक/परास्नातक को स्वर्ण पदक प्रदान किया जाएगा। vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क- (अ) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) (ब) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। vii. प्रायोजक- पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें विद्वत् परिषद द्वारा निर्धारित धनराशि 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) को सम्बन्धित कोष में जमा कराना होग तथा दानदाता का प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत कराये जायें।
2.	कार्यसूची क्र.सं.- 02 परिनियम	(अ) पूर्व में माननीय कुलपति जी के द्वारा प्रत्याशा में प्रदान किए गये

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

	(4.4.4 (C) i) के अन्तर्गत पूर्व में माननीय कुलपति की प्रत्याशा में प्रदान किए गये 'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) तथा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पर चर्चा एवं अनुमोदन।	'डिग्री' 'डिप्लोमा' एवं 'सर्टिफिकेट' (वर्ष 2015 तक) को प्रबन्ध द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। (ब) विद्वत् परिषद के द्वारा अनुमोदित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट के प्रारूप को प्रबन्ध मण्डल द्वारा चर्चा के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।
3.	कार्यसूची क्र.सं.- 03 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-01 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय की सील (Seal) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
4.	कार्यसूची क्र.सं.- 04 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) विषयक।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-02 में अनुमोदित पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो (Logo) को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
5.	कार्यसूची क्र.सं.- 05 परिनियम 4.4.4 C ii & 9.1.2 & 9.1.3 के अन्तर्गत Allied & Applied Science (Faculty of Science) एवं नये सत्र से अन्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने पर चर्चा एवं अनुमोदन।	(अ) 08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-05 में अनुमोदित Faculty of Science के अन्तर्गत Allied & Applied Science विभाग को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृति दी गई। (ब) माननीय कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित पाठ्यक्रमों (विज्ञान संकाय के अन्तर्गत- जीव विज्ञान विभाग, जैव यात्रिकी विभाग, एवं रसायन विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान विभाग; योग विज्ञान संकाय के अन्तर्गत- शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग; मानविकी एवं प्राच्य शिक्षा के अन्तर्गत- हिन्दी विभाग को स्वीकृत किया गया। (स) 08.02.2020 को विद्वत् परिषद द्वारा बी.एस-सी. ऑनर्स बॉयोलॉजिकल साईस, बॉयोटेक्निकल साईस, बॉयो कैमेस्ट्री, माइक्रो बॉयोलॉजी, आयुर्वेद बॉयोलॉजी, बॉयोटेक्नोलॉजी एवं भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल में छः माह का सर्टिफिकेट प्रोग्राम सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई।
6.	कार्यसूची क्र.सं.- 06 परिनियम 9. 12.1 - 9.12.3 के अन्तर्गत पतंजलि विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभिन्न पदों की योग्यता निर्धारण हेतु चर्चा एवं अनुमोदन।	08.02.2020 को आयोजित विद्वत् परिषद बैठक के कार्यवृत्त संख्या-07 में स्वीकृत पदों- कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, निजि सचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक (CoE) उप कुलसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrara Exam) व सहायक सचिव (शैक्षणिक) (Assistant Registrara Academics) की नियुक्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं एवं परिनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।

पतंजलि विश्वविद्यालय

7.	कार्यसूची क्र.सं.- 07 पतंजलि विश्वविद्यालय की रिसर्च कमेटी का गठन।	पतंजलि विश्वविद्यालय विनियम संख्या 08, भारत सरकार द्वारा 05 जुलाई 2016 को अधिसूचित किया गया राज-पत्र संख्या 278 व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर अनुसंधान के क्षेत्र में होने वाले कार्यों को और अधिक सुचारू रूप से प्रमाणिकता के साथ करने हेतु कुलसचिव महोदया एवं संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध) द्वारा रिर्सच कमेटी के निम्नलिखित स्वरूप स्वरूप को प्रस्तुत किया गया- 1- प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल - चेयरमैन 2- कुलसचिव, डॉ. प्रवीण पुनिया- सदस्या 3- संकायाध्यक्ष (शिक्षण एवं शोध), प्रो. वी. के. कटियार- सदस्य 4- संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन- पू. साध्वी देवप्रिया जी, - सदस्या 5- समस्त विभागाध्यक्ष/संबंधित विभाग के वरिष्ठतम संकाय 6- वरिष्ठ वैज्ञानिक/विशेष सदस्य- i. डॉ. अनुराग वार्ष्णेय, उपाध्यक्ष, ड्रग डिस्कवरी डिविजन, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। ii. डॉ. वेद प्रिया, वैज्ञानिक, पतंजलि अनुसंधान संस्थान। iii. प्रो. मनोहर लाल आर्य, संस्कृत विभाग। iv. प्रो. पारन गौड़ा, योग विभाग प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि.वि/2016/566)। v. डॉ. साले टेलीस, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि.वि/2016/566)। vi. डॉ. रुद्र भण्डारी, योग विभाग, प.वि.वि.- पूर्व से (2016) से रिर्सच कमेटी के सदस्य पूर्व में अनुमोदित (पत्रांक : प.वि.वि/2016/566)। 7- योग विभाग से चक्रानुक्रम में एक वर्ष के लिए एक प्राध्यापक-सचिव/समन्वयक। उपरोक्त रिसर्च कमेटी (उच्च स्तरीय शोध समिति) प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत किया गया।
8.	कार्यसूची क्र.सं.- 08 परिनियम 4.4.5 (D) i के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/छात्रावासों में अनुशासन सम्बन्धित नियमों पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों से सम्बन्धित नियमों तथा उपनियमों के पालनार्थ माननीय कुलाधिपति जी द्वारा परिनियम 2.7.0-2.7.4 के अर्न्तगत छात्रों हेतु मा0 प्रति-कुलपति, डॉ. महावीर अग्रवाल को कुलानुशासक तथा पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को सहायक कुलानुशासक एवं छात्राओं हेतु पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया को कुलानुशासिका तथा पूज्या साध्वी देवसाधना को सहायक कुलानुशासिका

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

		नियुक्त करने की संस्तुति प्रबन्ध मण्डल द्वारा की गई।
9.	कार्यसूची क्र.सं.- 09 दिनांक 08 फरवरी 2020 को आयोजित विद्वत् परिषद् की बैठक में कार्यवृत्त क्र.सं.- 11 (12 b) के अनुसार परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु जैसे प्रश्न पत्र बैंक, पुस्तिकाओं के स्थानीय स्तर पर जांचने की प्रक्रिया, पारदर्शिता एवं निष्पक्षता) हेतु नियम आदि पर चर्चा।	(अ) परीक्षा प्रणाली की प्रमाणिकता एवं प्रक्रिया को सहज करने हेतु प्रश्नपत्र बैंक निर्माण व इसी से परीक्षा समिति द्वारा नामित प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष आदि द्वारा अन्तिम परीक्षा हेतु प्रश्नपत्रों के निर्माण कार्य को प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। (ब) उत्तर पुस्तिकाओं की जांच विश्वविद्यालय से बाहर के मूल्यांकनकर्त्ता के द्वारा करवाने से रिजल्ट तैयार करने में होने वाली देरी से विद्यार्थियों के अगले अर्ध सत्र में प्रवेश पाने की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की जांचने की प्रक्रिया Table Marking से करवाये जाने को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार किया गया।
10.	कार्यसूची क्र.सं.- 10 परिनियम 5.4.14 (i) के अन्तर्गत पूर्व में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू आदि पर चर्चा अनुमोदन एवं स्वीकृति।	पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा निम्नलिखित शैक्षिणिक संस्थाओं क्रमशः वांक्वांग डिजिटल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, एम्स ऋषिकेश, जमशेदपुर वुमन्स कॉलेज जमशेदपुर, देव समाज कॉलेज फॉर वुमन फिरोजपुर पंजाब एवं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल के साथ पूर्व में किये गये एम.ओ.यू को प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकार्यता प्रदान की गयी।
11.	कार्यसूची क्र.सं.- 11 परिनियम 4.4.4 (C) V के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक (परीक्षा, व्याख्यान आदि से सम्बन्धित) के निर्धारण एवं अनुमोदन के सम्बन्ध में चर्चा।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय में विभिन्न मदों के अन्तर्गत पूर्व में प्रदान किये जाने वाले पारिश्रमिक व्याख्यान एवं परीक्षा आदि से सम्बन्धित को स्वीकृत किया गया तथा भविष्य में आवश्कतानुसार संशोधन हेतु माननीय कुलपति (अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल) को अधिकृत किया गया।
12.	कार्यसूची क्र.सं.- 12 शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी का मार्गदर्शन। (परिनियम 4.4.4 (C) iii)	भविष्य में विश्वविद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को शुल्क मुक्ति माननीय कुलाधिपति जी एवं कुलपति जी के द्वारा ही दी जा सकेगी।
13.	कार्यसूची क्र.सं.- 01 Migration from one stream to another. (There should be time limit) 1 सप्ताह एवं सीट पूर्ण होने पर न दी जाये।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा यह निर्देशित किया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी का एक पाठ्यक्रम में प्रवेश हो जाता है तो किसी अन्य पाठ्यक्रम में स्थानांतरित किया जाना सम्भव नहीं होगा। केवल विशेष परिस्थिति में ही स्थानांतरण का अधिकार केवल मा0 कुलपति के पास रहेगा।
14	कार्यसूची क्र.सं.- 02 Ph.D की	(क) पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 (क)

	प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में डीन एकेडमिक्स के साथ सम्बन्धित डीन फैकेल्टी, विभागाध्यक्ष,कुलसचिव, प्रति-कुलपति सदस्य हों व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए।	विनियम 8) के अन्तर्गत इस कार्यसूची पर चर्चा हुई तथा प्रबन्ध मण्डल द्वारा Ph.D में भी प्रवेश परीक्षा में एडमिशन कमेटी में निम्न सदस्य रहेंगे- 1. 'प्रति-कुलपति', 2. 'कुलसचिव', 3. डीन एकेडमिक्स 4. 'डीन फैकेल्टी', 5. 'विभागाध्यक्ष', सदस्य होंगे/रहेंगे व अन्तिम सूची कुलसचिव, प्रति-कुलपति के माध्यम से कुलपति के पास स्वीकृति हेतु जाए (ख) पी.एच.डी थिसिस जांच प्रक्रिया में सभी थिसिस परीक्षक भारत से ही होंगे। जिसमें से एक उत्तराखण्ड व अन्य उत्तराखण्ड से बाहर भारत के अन्य किसी भी प्रान्त से परन्तु सम्बन्धित विषय पर विशेषज्ञता रखने वाले हो। (ग) शोधार्थी के Supervisor Committee में विश्वविद्यालय या पतंजलि की अन्य संस्थाओं या यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुसार ही Approved Adjunct Faculty Member भी हो सकता है। सह-निर्देशक द्वारा अन्य संस्थान से भी चयनित किया जा सकता है। (ग) पतंजलि विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका 'पतंजलि विश्वविद्यालय प्रभा' को शोध पत्रिका के स्वरूप में परिवर्तन के लिए स्वीकार किया गया।
15	कार्यसूची क्र.सं.- 03 किसी भी कार्यक्रम/कोर्स ऑफ स्टडी में निर्धारित सीट से अधिक न बढ़ायी जाए।	प्रबन्ध मण्डल द्वारा इस कार्यसूची पर सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गई।
16	कार्यसूची क्र.सं.- 04 अ) बी.ए. योग को बी.एस.सी योग विज्ञान के साथ मिलाकर सीट बढ़ा दी जाए तथा जो संस्कृत, गणित, शारीरिक शिक्षा, कला संकाय (10+2 में कला विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों) के लिए खोला जाए। ब) बी.एस.सी में सीट ज्यादा रखी जाए तथा बी.ए. में कम कर दी जाए।	उक्त कार्यसूची पर प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपनी स्वीकृति प्रदान की गयी तथा यथाशीघ्र ही विश्वविद्यालय में लागू करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का भी निर्देश प्रदान किया गया।
17	कार्यसूची क्र.सं.- 05 पुर्नपरीक्षा वाले विद्यार्थियों का क्या करना है?	सत्र 2019-20 तक के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 02 या 02 से अधिक बार पुर्नपरीक्षा देने के बावजूद भी सम्बन्धित विषय को उत्तीर्ण नहीं कर पाये हैं उन्हें पुर्नपरीक्षा के लिए एक स्वर्णिम अवसर अवसर प्रदान किया जाए

		ताकि अब तक के ऐसे सभी विद्यार्थीयों को अन्तिम अवसर का लाभ मिल जाए।
18	पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम-2006 की धारा-22 (2) के अन्तर्गत (परिनियम-4-4-0, (4.4.6- v)) में पतंजलि विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल; विश्वविद्यालय के कुलपति को उन सब निर्णयों के लिये अधिकृत करती है, जो विश्वविद्यालय के हित में अगली प्रबंध मण्डल की बैठक से पहले समय-समय पर लेने आवश्यक होंगे।	
19	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय- (क) वर्ष 2020-21 में प्रवेश सम्बन्धित- 1- अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा (स्नातक स्तर में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट में: न्यूनतम 60 प्रतिशत एवं स्नातकोत्तर/डिप्लोमा में प्रवेश हेतु स्नातक में: न्यूनतम 55 प्रतिशत) में निर्धारित अंक होने अनिवार्य हैं। 2- प्रवेश पात्रता लिखित परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक। 3- शिविर के अन्तर्गत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक। 4- शारीरिक/मेडिकल जांच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए 5- पतंजलि विश्वविद्यालय से स्नातक विद्यार्थियों को यदि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु लिखित प्रवेश पात्रता परीक्षा में छूट प्रदान की जाएगी यद्यपि शिविर में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा (विद्यार्थी अनुशासनहीनता का दोषी नहीं होना चाहिए) 6- नवप्रवेशी छात्र/छात्रा तथा अभिभावकों द्वारा विश्वविद्यालय तथा छात्रावास के नियमों, 'रैगिंग' नहीं आदि के पालनार्थ शपथ पत्र (एफिडेविट) अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। (ख) प्रवेश समिति (Admission Committee), Examination Committee, POsH Committee आदि के गठन की जानकारी प्रबन्ध मण्डल को दी गयी। (ग) परिनियम 2.6.0-2.6.2 के अन्तर्गत पूज्या साध्वी डॉ. देवप्रिया जी, विभागाध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग को डीन ऑफ फैकल्टी (Humanities and Anciendt Studies/संकायाध्यक्ष, मानविकी एवं प्राच्य विद्या अध्ययन) की नियुक्ति की संस्तुति की गयी।	

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

कार्यवृत्त

6वीं (छठवीं) विद्वत् परिषद की बैठक दिनांक 08.02.2020 प्रातः 09:15 बजे कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1

आज दिनांक 08 फरवरी 2020 को प्रातः 09:15 बजे विद्वत् परिषद की बैठक प्रार्थना सभा के साथ प्रारम्भ हुई बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची के अनुसार निम्न बिंदुओं पर चर्चा, विचार-विमर्श एवं स्वीकृति प्रदान की गयी:-

क्र.स.	कार्यवृत्त- चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।	
1.	दिनांक 03 जनवरी 2020 को आयोजित पांचवीं विद्वत् परिषद की बैठक के कार्यवृत्त की रिर्पोट कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत की गई कार्यवाही व रिर्पोट की पुष्टि एवं अनुमोदन किया।	
2.	कार्यसूची संख्या- 01 पतंजलि विश्वविद्यालय की सील विषयक।	परिषद के सदस्यों ने पतंजलि विश्वविद्यालय की सील के प्रारूप को परिषद द्वारा स्वीकार किया गया। सील के स्वीकृत प्रारूप को बनवाया जाये व विश्वविद्यालय की सम्पति माना गया जो कि कुलसचिव के अधीन रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 02 पतंजलि विश्वविद्यालय के लोगो विषयक।	परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के 'लोगो' (Logo) के स्वरूप को प्रस्तुत किया गया जिसको परिषद द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया।
4.	कार्यसूची संख्या- 03 दीक्षांत समारोह आयोजन के सम्बन्ध में चर्चा।	
	i. दीक्षांत समारोह की तिथि का निर्धारण।	31 मार्च 2020 को दीक्षांत समारोह की तिथि निश्चित की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	ii. स्नातक, परा-स्नातक, पी.एच.डी व पी.जी.डिप्लोमा डिग्रियों के प्रारूप।	कुलसचिव महोदय द्वारा प्रस्तुत डिग्रियों के प्रारूप को विद्वत् परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। डिग्रियों की भाषा संस्कृत एवं अंग्रेजी में रहेगी। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	iii. दीक्षान्त समारोह वेशभूषा	a) अधिकारियों, छात्रों, शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों की दीक्षान्त समारोह के लिए वेशभूषा में क्रीम रंग की धोती एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्त्ता जिसके अगले भाग पर भगवे/गेरूआ रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरदल वाली पगड़ी को स्वीकृत किया। b) अधिकारियों, छात्राओं, शिक्षिकाओं एवं महिला कर्मचारियों हेतु दीक्षान्त वेशभूषा क्रीम रंग की लाल बॉडर की साड़ी एवं क्रीम रंग का अंगरखा-नुमा कुर्ता/ब्लाउज जिस पर भगवे/गेरूवे रंग की पाइपिंग/पट्टी लगी होगी एवं आर्य वीरांगना वाली पगड़ी स्वीकृत की गयी। c) विशेष माननीय अतिथियों हेतु अन्य रंग का अंगरखा नुमा कुर्त्ता, धोती एवं अन्य रंग की पगड़ी को जो भी माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत की जाये को परिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया। (कार्यवाही- (a)(b)(c) कुलसचिव)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

	iv. उपाधि	वर्ष 2010 से वर्तमान सत्र तक बी.ए., बी.एस.सी, एम.ए.,एम. एस.सी, पी.एच.डी. व पी.जी.डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। (कार्यवाही- कुलसचिव व संकायाध्यक्ष)
	v. स्वर्ण पदक	a) स्वर्ण पदक प्राप्त करने हेतु न्यूनतम योग्यता- i. प्रत्येक पाठ्यक्रम में 70% एवं उससे अधिक, प्राप्तांक वाले छात्र/छात्रा को ही स्वर्ण पदक प्रदान किया जाये। ii. जिस कक्षा में 2 या 2 से अधिक छात्र पास हुए हैं उन्हीं में प्रथम विद्यार्थी को स्वर्ण पदक दिया जाये। iii. वर्ष 2020-21 के सत्र से प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों में उन्हीं को पदक प्रदान किया जाये जिस कक्षा में कम से कम 10 विद्यार्थी होंगे। b) स्वर्ण पदक के मानक को परिषद् द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि पदक पर स्वर्ण धातु का पानी चढ़ा हो, विश्वविद्यालय की सील एवं छात्र/छात्रा तथा पाठ्यक्रम का नाम अंकित हो। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vi. उपाधि एवं वेशभूषा शुल्क	a) उपाधि हेतु- 1000/- (एक हजाररूपये मात्र) b) वेशभूषा हेतु- 3500 (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) सभी उपरलिखित राशी अभ्यर्थियों को जमा करवानी आवश्यक है। विशेष- जो अभ्यर्थी दीक्षान्त वेशभूषा लेकर जाना चाहेंगे उन्हें 3500/- (तीन हजार पांच सौ रूपये मात्र) देने होंगें एवं जो नहीं लेकर जाना चाहेंगे उनको कटौती स्वरूप रखरखाव शुल्क के रूप में 500/- (पांच सौ रूपये मात्र) काटकर दीक्षान्त समारोह के बाद, वेशभूषा लौटाने पर 3000/- (तीन हजार रूपये मात्र) का सुरक्षा धन वापस कर दिया जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव)
	vii. प्रायोजक	पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में जो इच्छुक महानुभाव स्वर्णपदक हेतु दानदाता होना चाहते हैं या अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य या सम्बन्धी के नाम से नामित करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 5,00,000/- (पांच लाख रूपये) की धनराशि सम्बन्धित कोष में जमा करनी होगी साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि उनका प्रायोजक काल 50 वर्ष तक रहेगा। इस तरह के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय में विनियम (Regulation) बनाये जाएं।
5.	कार्यसूची संख्या- 05 **Allied & Applied Science Faculty of Science** के अन्तर्गत	पूर्व में हुई बैठक द्वारा अनुमोदित व विद्वत् परिषद में स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय कुलपति को अग्रसारित तथा माननीय

		कुलपति द्वारा स्वीकृत विश्वविद्यालय में Allied & Applied Science विभाग Faculty of Science के अन्तर्गत नये सत्र से प्रारम्भ करने पर परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
06.	कार्यसूची संख्या- 06 सत्र 2020-21 से स्नातक एवं परा-स्नातक स्तर पर विश्वविद्यालय में निम्न कोर्स अध्ययन कार्यक्रमों (Programmes of Study) को प्रारम्भ करने पर चर्चा।	a) दिनांक 03 जनवरी 2020 को माननीय कुलाधिपति महोदय जी अध्यक्षता में सम्पन्न परामर्शदात्री समिति की बैठक में अनुमोदित पाठ्यक्रमों पर विद्वत् परिषद द्वारा विस्तृत चर्चा के बाद परा-स्नातक स्तर पर 1. Biotechnology Science 2. Industrial Microbiology 3. Bio Chemistry 4. Industrial Chemistry 5. Botany (Ethno Botany) एवं 6. Ayurved Biology ; तथा स्नातक स्तर पर i. B.sc. Medical (Honours) निम्नलिखित Biotechnical Science, Industrial Chemistry, Bio Chemistry, Microbiology, Biotechnology) में से किसी एक विषय के 02 कोर्स, आनर्स के लिए विशेषज्ञता के चयन के आधार पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के CBCS सिस्टम के अनुसार सत्र 2020-21 के सत्र से प्रारम्भ किये जाने पर पूर्ण सहमती प्रदान की। बी.एस.सी मेडिकल मे डिग्री कर 03 वर्ष की आनर्स डिग्री मानी जाएगी ii. आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) (स्नातक/परा-स्नातक स्तर पर) के विषय में माननीय कुलपति जी द्वारा सभा को बताया गया कि भारतीय आयुर्वेद की प्राचीनतम पद्धतियों को नवीन अनुसंधान के साथ समावेशित कर वैश्विक स्तर पर दृढ़ संकल्प के साथ इस पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा तभी कुछ नया कर सकते हैं। अतः आयुर्वेद जैवविज्ञान (Ayurved Biology) विषय में स्नातक का पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 से प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्रदान की। b) सीटों की संख्या- स्नातक- 30, स्नातकोतर स्तर- 20 (कार्यवाही- पाठ्यक्रम आदि- संकायाध्यक्ष, प्रवेश प्रक्रिया - कुलसचिव)
07.	कार्यसूची संख्या-07 एवं 08 पतंजलि विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों की स्वीकृति।	a) विश्वविद्यालय के सफल कार्यालय संचालन हेतु कुलसचिव कार्यालय में निजि सहायक, सहायक एवं परीक्षा नियन्त्रक (COE) उपसचिव (Deputy Registrar) सहायक सचिव (परीक्षा) (Assistant Registrar) (Exam) व सहायक सचिव (Assistant Registrar) की स्वीकृति भी प्रदान की गई। नोट- विश्वविद्यालय के उपरलिखित विभागों में स्वीकृत पदों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं पूर्ण करने पर तथा साथ ही विश्वविद्यालय के अनुभव

		एवं निष्ठा तथा योग्यता के आधार पर नियुक्ति नियमों में शिथिलता प्रदान की जाये एवं संस्था में अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाये। (कार्यवाही- कुलसचिव व वित्तअधिकारी)
08.	कार्यसूची संख्या- 09 एलुमिनाई एसोशियन के गठन विषयक।	पतंजलि विश्वविद्यालय में एलुमिनाई एसोशियन के गठन एवं नियमित बैठक पर परिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
09.	कार्यसूची संख्या- 10 शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम . (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सूचना के अनुरूप शोध छात्र/छात्राओं के पंजीकरण के पूर्व 02 क्रेडिट के पाठ्यक्रम (Publication Ethics & Publication Misconducts) की अनिवार्यता को परिषद द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया। वर्ष 2020-21 के सत्र से इस Course को Ph.D. के शोधार्थियों के पाठ्यक्रम में लागू किया जाये। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
10.	कार्यसूची संख्या- 11 छात्र/छात्राओं हेतु सलाहकार समिति के गठन पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं में अनुशासन एवं शैक्षिणिक उत्कर्ष हेतु सलाहकार समिति बनाकर Tutorial कक्षा प्रारम्भ की जाये। इस सलाहकार समिति को बनाने के लिए शिक्षक छात्रों एवं शिक्षिकाएं छात्राओं के सलाहकार नियुक्त किये जाए तथा सभी कक्षाओं से छात्र-छात्राओं (पृथक-2) के समूह ग्रुप तैयार किये जाएंगे। यह कक्षा सप्ताह में एक बार, 01 घण्टे की निश्चित रहे। छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कक्षा में अनिवार्य होगी व उनके द्वारा अन्य गतिविधियों में भागीदारी के आधार पर इसमें सन्तोषजनक [S= Satisfactory Grade] या असन्तोषजनक [US= Unsatisfactory Grade] परिणाम घोषित किया जाये। यह Tutorial कक्षा हर सेमेस्टर के कोर्स का भाग रहेगी। असन्तोषजनक परिणाम होने पर उसे दुबारा करना (Reappear होना) होगा। इस कक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व सलाहकार का रहेगा। छात्र परामर्श समिति के गठन पर परिषद की पूर्ण सहमती बनी। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष व अध्यक्ष अनुशासन समिति)
11.	कार्यसूची संख्या- 12 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत नये पाठ्यक्रम विषयक- b) प्रश्नपत्र बैंक निर्माण- c) संगीत विभाग में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर करना।	माननीय कुलसचिव ने परिषद को बताया गया कि a) शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग के अर्न्तगत छः माह को सर्टिफिकेट कोर्स 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में सत्र 2020-21 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं जिसे स्वीकृत उपर्लिखित कोर्स की सफलता के बाद 'भारतीय व्यायाम पद्धति एवं खेल' में पी.जी.डिप्लोमा भी प्रारम्भ किया जाएगा। b) विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली को अत्यन्त सुगम बनाने हेतु प्रश्नपत्र बैंक के निर्माण पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नपत्र बनाने की जिम्मेदारी परीक्षा

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

		नियन्त्रक एवं कुलसचिव की होगी तथा यह भी निश्चित किया गया कि परीक्षा की कॉपियों को जांचने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर (हरिद्वार) पर रहेगी। उपरलिखित (a) व (b) को परिषद ने सर्वसम्मति से अनुमति प्रदान की। c) संगीत विभाग के अन्तर्गत संचालित हिन्दुस्तान (भारतीय) संगीत परास्नातक एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को स्नातक स्तर पर संचालित (एक वर्षीय हिन्दुस्तानी (भारतीय) संगीत डिप्लोमा) करने के लिए परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार्यता प्रदान की गई। (कार्यवाही- कुलसचिव, संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक एवं प्रशासनिक अधिकारी) (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष)
12.	कार्यसूची संख्या- 06 विश्वविद्यालय के गणवेश निर्धारण के विषय में चर्चा एवं अनुमोदन।	छात्र/छात्राओं हेतु गणवेश निर्धारण- पुरुष वर्ग हेतु; सफेद रंग का कुर्ता/पायजामा या पैंट/शर्ट एवं महिला वर्ग हेतु; सफेद रंग का सूट/सलवार (तंग पायजामी नहीं)। महिला प्राध्यापिकाओं व कर्मचारियों हेतु मैरून रंग की पाइपिंग/पट्टी आदि एवं क्रीम रंग की साड़ी जिस पर गहरे मैरून रंग का बॉर्डर हो को पारित किया गया। (कार्यवाही - प्रति-कुलपति / कुलसचिव / संकायाध्यक्ष)

अतिरिक्त कार्यसूची चर्चा, अनुमोदन एवं निर्णय।		
1.	कार्यसूची संख्या- 01 एवं 02 विश्वविद्यालय कैलेण्डर एवं प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया विषय पर चर्चा।	a) विश्वविद्यालय कैलेण्डर- पूर्व की बैठकों में निर्धारित विश्वविद्यालय के शैक्षिक कैलेण्डर को परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा उक्त शैक्षिक कैलेण्डर को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। b) सत्र 2020-21 में प्रवेश प्रक्रिया का स्वरूप निम्न प्रकार रहेगा- दिनांक 28 जून से 02 जुलाई तक प्रतिभा मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा, 03 जुलाई को प्रवेश पात्रता परीक्षा एवं 15 जुलाई को परीणाम घोषित किया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश की न्यूनतम संख्या 10 है। c) प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया- विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु निम्न मानकों का निर्धारण किया गया। • प्रवेश पात्रता के लिए 30 प्रतिशत अंक उत्तीर्ण कक्षा। • लिखित परीक्षा के लिए 30 प्रतिशत अंक। • शिविर के अन्तर्गत गतिविधियों के अवलोकन, विश्लेषण तथा साक्षात्कार के आधार पर 40 प्रतिशत अंक।

		• शारीरिक/मेडिकल जांच को मात्र औपचारिकता न मानकर चिकित्सक को निष्पक्षता से अभ्यर्थियों की गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। • अभ्यर्थी (किडनी, हृदय, (फीट) दौरे, अस्थमा अन्य गम्भीर बीमारियों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। (कार्यवाही- संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियन्त्रक, कुलसचिव)
2.	कार्यसूची संख्या- 03 राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 द्वारा प्राप्त पत्र के विषय में चर्चा एवं निर्णय।	राजकीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान उ0प्र0 के बारहवीं पास छात्रों को पतंजलि विश्वविद्यालय में स्नातक/प्रमाणा पत्रों में पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से परिस्थिति के अनुसार अनुमोदन। (कार्यवाही- कुलसचिव)
3.	कार्यसूची संख्या- 04 पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों के अनुमोदन पर चर्चा।	विश्वविद्यालय के सत्र 2019-20 तक पाठ्यक्रमों में बढ़ी सीटों को परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित्त। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 05 कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक चर्चा एवं अनुमोदन।	कश्मीरी एवं कश्मीरी पण्डितों को विश्वविद्यालय की प्रवेश सीटों में आरक्षण देने विषयक कार्यसूची को विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि पतंजलि विश्वविद्यालय एक प्राइवेट स्ववित पोषित विश्वविद्यालय है। इसके अर्न्तगत आरक्षण देने को कोई भी प्रावधान नहीं आता है जिस पर परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से उक्त विषय को नहीं माना। (कार्यवाही- कुलसचिव)
4.	कार्यसूची संख्या- 06 पुरानी रद्दी के निस्तारण विषय पर चर्चा एवं अनुमोदन।	विश्वविद्यालय में पुरानी रद्दी आदि के निस्तारण के सम्बन्ध में परिस्थितियों के अनुसार परिषद् द्वारा अनुमोदन एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। (कार्यवाही- परीक्षा नियन्त्रक)

अन्त में कुलसचिव महोदया द्वारा उपस्थित समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं शांतिपाठ के साथ बैठक का समापन किया गया।

(कुलसचिव)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

(प्रति-कुलपति)

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार
उत्तराखण्ड

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के विद्या परिषद की 17.10.2011 को सम्पन्न प्रथम बैठक की कार्यवाही की कार्यवृत्ति विवरण-

कार्यावली संख्या-1 : पतंजलि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 30 के अन्तर्गत विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावली, विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल की दिनांक 21.04.2012 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।

कार्यावली संख्या-2 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-3 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-4 : विश्वविद्यालय के विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित नियमावली के अनुसार शैक्षिणक सत्र 2012-13 से पीएच.डी पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई-2012 निर्धारित की गयी है।

कार्यावली संख्या-5 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के निम्नलिखित दो प्राध्यापक पीएच.डी शोध के लिए गाईड (Supervisor)के रूप में उपयुक्त पाए गए हैं।

(1) डॉ0 जी0डी0 शर्मा, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, योग विज्ञान विभाग

(2) डॉ0 सरले टेरिस, प्राध्यापक, योग विज्ञान विभाग

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यावली संख्या-6 : दिनांक 19.07.2012 की विद्या परिषद की बैठक की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

शेष पेज दो पर

कार्यावली संख्या-7 : अंकित किया गया।

कार्यावली संख्या-8 : अंकित किया गया ।

कार्यावली संख्या-9 : शैक्षिणक सत्र 2012-13 में होने वाले नामांकन में दर्शनशास्त्र को बी.ए. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है।

कुल सचिव

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यवृत्त

विद्या परिषद की बैठक- दिनांक: 30.05.2019

1. पतंजलि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की बैठक दिनांक 30.05.2019 को माननीय कुलाधिपति पूज्य स्वामी रामदेव जी के सानिध्य एवं माननीय कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी की अध्यक्षता में गायत्री मन्त्र से प्रारम्भ हुई ।

2. अधोहस्ताक्षरी एवं बैठक के संयोजक द्वारा दिनांक 10.05.2019 की स्टैंडिग कमेटी (स्थायी समिति) में लिये गये निर्णयों एवं सुझावों को प्रस्तुत किया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

3. बैठक में बी.ए., एम.ए. एम.एस.सी, डिप्लोमा के सभी विषयों के संशोधित पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।

4. सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम संक्षिप्त परन्तु सारगर्भित एवं प्रासंगिक होना चाहिये । पाठ्यक्रम में ग्रंथो / सहायक ग्रंथों की सूची उपयोगी एवं सीमित होनी चाहिये, सभा के सदस्यों एवं विशेषज्ञों ने अध्यक्ष महोदय को अवगत कराया कि पाठ्यक्रम निर्धारण में उक्त विषय वस्तु को समाहित किया गया है ।

5. अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम रोजगारपरक हो एवं वैदिक ज्ञान पर आधारित हो, उन्होने उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य में वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान (Microbiology) आदि पाठ्यक्रमों में भारतीय वैदिक ज्ञान को सम्मिलित करते हुए शिक्षा प्रदान की जाये जिससे विद्यार्थी को सैद्धान्तिक एवं कियात्मक ज्ञान प्राप्त हो सके।

6. शिक्षण प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकम भी प्रारम्भ करने पर विचार किया गया, जिसमें प्रमुखता एक वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्राप्त हुई ।

7. सत्र 2020-21 में निम्न पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई-
   1. बी.एड एवं BTC
   2. लोक प्रशासन में स्नातक,
   3. पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक,
   4. कम्प्यूटर एप्लिकेशन में स्नातक (Bachelors of Computer Application) BCA,
   5. व्यवसाय प्रशासन में स्नातक (Bachelors of Business Administration) BBA,
   6. PGD in Yoga Therapy
   7. Biotech (Bachelor of Biotechnology)
   8. Biochemistry (Bachelor of Biochemistry)
   9. Industrial Chemistry (Bachelor of Industrial Chemistry)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

8. माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश दिया गया कि केवल Medical / Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता है, Non Medical / Non Clinical सम्बन्धी शोध (पी.एच.डी) में Internal Ethical Committee के अनुमोदन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है ।

9. मनोविज्ञान एवं दर्शन विषय में पी.एच.डी प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्राप्त हुई ।

10. मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न (एक अंक) के समाप्त करने पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

11. परीक्षा पूर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा संगोष्ठी आदि को सीमित करने एवं परीक्षा के समय न करने सम्बन्धी निर्णय पर सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

12. माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय स्वामी जी ने निर्देश दिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, शोध संगोष्ठी, क्रीडा समारोह आदि कार्यक्रमों का आयोजन परीक्षा के निकट न कर सितम्बर अक्टूबर माह में करना उचित होगा, तथा इन कार्यक्रमों को सीमित अवधि में पूर्ण करना चाहिए।

13. निकट भविष्य में विश्वविद्यालय की अन्य वैधानिक बैठके सम्पन्न कराने के लिए सभा के अध्यक्ष महोदय द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किये गये ।

14. छात्र / छात्राओं हेतु नियमावली संशोधन उपरांत सभा द्वारा अनुमोदित की गयी।

15. शांति पाठ के साथ सभा का समापन हुआ ।

(डॉ. महावीर अग्रवाल)
संयोजक / प्रति-कुलपति

पतंजलि विश्वविद्यालय

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार

व्यवस्थापक मण्डल (Board of Governors) की 8वीं बैठक

दिनांक 08.07.2021 का कार्यवृत्त

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के व्यवस्थापक मण्डल की बैठक दिनांक 08.07.21 पूर्वाह्न 11:00 बजे कुलपति सभागार, पतंजलि योगपीठ, फेस-1 में प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए-

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवस्थापक मण्डल
1.	परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज (कुलाधिपति)	माननीय कुलाधिपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
2.	श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण (कुलपति)	माननीय कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	सदस्य-सचिव
3.	स्वामी मुक्तानन्द	दिव्य योग मंदिर (ट्रस्ट) कनखल, हरिद्वार।	पतंजलि योगपीठ (ट्रस्ट) द्वारा नामित सदस्य
4.	डॉ. हरिओम पंवार	सेवानिवृत- संकायाध्यक्ष, कॉलेज ऑफ लॉ, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि	
5.	डॉ. जी.डी. शर्मा	पूर्व अध्यक्ष, योग विज्ञान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश।	
6.	प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार	श्री भगवानदास आदर्श संस्कृत विद्यालय, हरिद्वार।	कुलाध्यक्ष, द्वारा नामित, शिक्षा विद्
7.	डॉ0 कैलाश चन्द्र पेटवाल	स्वामी रामतीर्थ परिसर, बादशाहीथौल, टिहरी।	
8.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता	प्राचार्य, रा0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गोपेश्वर।	
9.	डॉ. विजयपाल प्रचेता	प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम्, देवप्रयाग, उत्तराखण्ड।	योग, आयुर्वेद के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले संस्थान के वैज्ञानिक या अधिकारी में से कुलाधिपति द्वारा नामित अधिकारी
10.	डॉ. ईश्वर भारद्वाज	प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	
11.	डॉ. सोमदेव शतांशु	प्रोफेसर संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	
12.	डॉ. के. एन. एस. यादव	महामंत्री, परामर्शदात्री समिति, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	डॉ. महावीर अग्रवाल	प्रति-कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	
14.	डॉ. प्रवीण पुनिया	कुलसचिव, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	
15.	श्री ललित मोहन	वित्ताधिकारी, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	
16.	डॉ. राजीव रस्तोगी	संकायाध्यक्ष-प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग संकाय , पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार	
17.	डॉ. निधीश यादव	सहायक प्राध्यापक, योग विभाग, पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार।	

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यसूची संख्या-01 : **माननीय कुलाधिपति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति के बाद वैदिक मन्त्रोच्चारण के बाद बैठक का शुभारंभ हुआ।**

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने मा0 कुलाधिपति सहित सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में तीन सम्मानित सदस्य (क्रं.सं.7,9एवं11) ऑनलाईन गूगलमीट वर्चुवल माध्यम से उपस्थित रहे। प्रस्तुत कार्यसूची (एजेंडा) के माध्यम से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

कार्यसूची संख्या-02 : दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को सम्पन्न व्यवस्थापक मण्डल की 7वीं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं क्रियान्वयन के विवरण को कुलसचिव महोदया द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची संख्या-03 : पतंजलि विश्वविद्यालय के सत्र 2021-22 से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में निम्नलिखित कोर्सिस/पाठ्यक्रम व सम्बन्धित पाठ्यक्रम विवरण प्रारम्भ करने विषयों पर चर्चा उपरान्त व्यवस्थापक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई-

1. सत्र 2021-22 से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में 5½ वर्षीय स्नातक स्तरीय (बी. एन.वाई.एस.) कोर्स प्रारम्भ करना।

2. सत्र 2021-22 से प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में 01 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करना।

3. प्राकृतिक एवं योग के स्नातकों हेतु निम्नलिखित परास्नातक कोर्स निम्नलिखित अध्ययन के विषयों को भी अनंतिम अनुमोदन (provisional approval) प्रदान किया गया। जिसमें क्रमशः क्लीनिकल नैचुरोपैथी (Clinical Naturopathy), क्लीनिकल योग थैरेपी (Clinical Yoga Therapy), क्लीनिकल एक्यूपंचर (Clinical Acupuncture), न्यूट्रीशन तथा डाइटेटिक्स (Nutrition and Dietetics) को भी स्वीकृत किया गया।

4. विभिन्न पद्धतियों के चिकित्सकों हेतु विशेष 06 मासिक प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग में सर्टिफिकेट कोर्स प्रारम्भ करने का भी अनंतिम अनुमोदन (provisional approval) व्यवस्थापक मण्डल ने प्रदान किया।

*उपरोक्त कोर्सों में हेतु प्रवेश पात्रता, पाठ्यक्रम रूपरेखा, शुल्क आदि के विषय में डॉ. राजीव रस्तोगी, संकायाध्यक्ष- प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संकाय द्वारा व्यवस्थापक मण्डल के सभी सदस्यों को विस्तृत रूप से सूचित किया गया। जिसे व्यवस्थापक मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की।

5. डॉ. रस्तोगी द्वारा प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संकाय हेतु निम्नलिखित विभागों के अन्तर्गत बी.एन.वाई.एस एवं डी.एन.वाई.एस प्रथम वर्ष हेतु विभिन्न शैक्षणिक प्राध्यापकों

पतंजलि विश्वविद्यालय

तथा शिक्षणेतर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं व्यवस्थापक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

S. No.	Teaching Department	Requirement of Teaching Staff			Total
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor	
1.	Anatomy	-	01	01	02
2.	Physiology and Biochemistry	-	01	01	02
3.	Nature Cure Philosophy	-	01	01	02
4.	Yoga Therapy	-	01	01	02
5.	Sanskrit	-	-	01	01
	Total	-	04	05	09

S. No.	Type of Staff	Number
Office of the Dean		
1.	Personal Office Assistant (IT)	01
2.	Data Entry Operator	01
3.	Attendant	01
Administrative Staff		
4.	Administrative Officer	01
5.	Data Entry Operator	01
6.	Record Keeper	01
7.	Attendant	01
Library		
8.	Librarian	01
9.	Assistant Librarian	01
10.	Library Attendant	01
Others		
11.	Cleaning Staff	03
	Total	13

(कार्यवाही (1से5)- संकायाध्यक्ष- प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संकाय)

कार्यसूची संख्या-04 : दिनांक 12 से 14 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय के निरीक्षण की रिपोर्ट के अन्तर्गत दी गई 17 अंकों की अनुशंसा/संस्तुति के मुख्य-मुख्य अंश को कुलसचिव महोदया ने व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों की जानकारी हेतु प्रस्तुत किये। जो कि प्रेषित रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 03, 05, 07 (केवल एक लाईन में), 08, 11, 12, 13, 15 एवं रिपोर्ट के श्रेणी क्रमांक (C) के अन्तर्गत अंतिम संस्तुति के रूप में उल्लेखित है। व्यवस्थापक मण्डल के समस्त सम्मानित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ हर्ष व्यक्त किया गया।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

कार्यसूची संख्या-05 : माननीय अध्यक्ष जी अनुमति से अन्य आवश्यक विषय की प्रस्तुति।

1. आगामी सत्र 2021-22 में शुल्क बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव वित्ताधिकारी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। जिसका सभी सदस्यों ने सर्व सम्मति से स्वीकृति प्रदान की। (कार्यवाही- वित्ताधिकारी)

2. प्राकृतिक एवं योग चिकित्सा संकाय के अंतर्गत पी.एच.डी. प्रारम्भ करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. माननीय अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (नैचुरोपैथी) की सामाजिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए जनसामान्य तक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही भविष्य में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ प्राचीन आयुष चिकित्सा पद्धति को जोड़कर (इंटीग्रेटेड मेडिसिन) के रूप में समग्र चिकित्सा विज्ञान को स्थापित करने के लिए एम.बी.बी.एस. आदि महाविद्यालय की स्थापना करना व उसके लिए सम्बधित विभाग जैसे- शल्य चिकित्सा, आकस्मिक चिकित्सा के साथ 5½ वर्षीय स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम की योजना बनाने का अनंतिम अनुमोदन (provisional approval) प्रदान किया।

अन्त में पूर्णमदः पूर्णमिदं................ वैदिक मन्त्रोच्चारण के साथ बैठक का समापन किया गया।

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के व्यवस्थापक मण्डल
(Board of Governors) की 7वीं बैठक
दिनांक 29.12.2020 का कार्यवृत्त

पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के व्यवस्थापक मण्डल की बैठक दिनांक 29.12.20 अपराह्न 02:00 बजे पतंजलि अनुसंधान संस्थान के सभाकक्ष में प्रारम्भ हुई। बैठक में निम्नलिखित सम्मानित सदस्य सम्मिलित हुए।

1.	परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, मा0 कुलाधिपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	:	अध्यक्ष
2.	श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण, मा0 कुलपति, पतंजलि विश्वविद्यालय	:	सदस्य/सचिव
3.	डॉ0 हरिओम पंवार	:	सदस्य
4.	डॉ0 जी0 डी0 शर्मा	:	सदस्य
5.	प्रो0 सत्यदेव निगमालंकार	:	मा0 कुलाध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य
6.	डॉ0 कैलाश चन्द्र पेटवाल	:	मा0 कुलाध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य
7.	डॉ0 आर0 के0 गुप्ता	:	मा0 कुलाध्यक्ष द्वारा नामित सदस्य
8.	डॉ0 विजयपाल प्रचेता	:	सदस्य
9.	डॉ0 ईश्वर भारद्वाज	:	सदस्य
10.	डॉ0 सोमदेव शतांशु	:	सदस्य
11.	डॉ0 के0 एन0 एस0 यादव	:	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 महावीर अग्रवाल	:	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री ललित मोहन	:	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	डॉ0 प्रवीण पुनिया	:	विशेष आमंत्रित सदस्य

कार्यसूची संख्या-1 : माननीय कुलाधिपति द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति के बाद वैदिक मन्त्रोच्चारण के बाद बैठक का शुभारंभ हुआ।

सर्वप्रथम मांननीय कुलपति महोदय ने कुलाधिपति सहित सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। पतंजलि योगपीठ द्वारा भारतवर्ष एवं

विश्वभर में किये जा रहे कल्याणकारी कार्यों के विषय में सम्मानित सदस्यों को बताया जिसका करतल ध्वनि के साथ सभी ने स्वागत किया।

कार्यसूची संख्या-2 : विगत व्यवस्थापक मण्डल की बैठक की कृत कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात् उपस्थित समस्त सम्मानित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची संख्या-3 : कुलपति चयन के लिए गठित होने वाली समिति के विषय में सभा के समस्त सम्मानित सदस्यों द्वारा Post Facto Approval (कार्योत्तर स्वीकृति) प्रदान की गई।

कार्यसूचीसंख्या-4 : पतंजलि विश्वविद्यालय के Vision और Mission के अर्न्तगत माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मातृ संस्था पतंजलि योगपीठ के मूलभूत सिद्धान्तों का समावेश किया जाना चाहिए के लिए निर्देश प्रदान किया गया तथा विचरा-विमर्श के बाद सुझावों को Vision और Mission में सम्मिलित कर इन्हें लिखित भी करवाया गया। (संलग्न)

कार्यसूची संख्या-5 : माननीय कुलपति महोदय की आज्ञानुसार कुलसचिव महोदया द्वारा विगत पांच वर्षों के (वर्ष 2015 से 2020) वार्षिक प्रतिवेदन (Annual Report) की प्रस्तुति सम्मानित सदस्यों के समक्ष की गयी एवं जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों द्वारा अपने बहुमूल्य सुझाव प्रदान किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

कार्यसूची संख्या-5.1 : विश्वविद्यालय में विगत चार वर्षों में सत्रानुसार सम्मिलित किये गये नये पाठ्यक्रमों का विवरण व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष रखा गया जिसको व्यवस्थापक मण्डल के उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या-5.2 : सत्रानुसार वर्ष 2015-16 से 2020-21 में प्रवेशित छात्र/छात्राओं का विवरण प्रस्तुत किया गया जो ग्राफ/पैमाने (लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर एवं राज्यवार के आधार पर) के अनुसार उपस्थित सदस्यों के समक्ष रखा गया कि पतंजलि विश्वविद्यालय में छात्रों की अपेक्षा छात्राओं की संख्या का अधिक होना सभी वर्गों के व लगभग सभी प्रान्तों से यहां तक कि विदेशों

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

से भी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं। (ग्राफ संलग्न) जिसको व्यवस्थापक मण्डल के समस्त सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या-5.3 : सत्रवार निर्गत किये गये परीक्षा परिणामों की स्थिति को व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष रखा गया जिसको समस्त उपस्थित सदस्यों द्वारा अच्छी प्रतिशत में परिणाम होने की स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या-5.4 : वर्ष 2009 से वर्तमान 2020 तक कक्षाओं में निर्धारित नियमों की पात्रता को पूर्ण कर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले (71) छात्र/छात्राओं की सूची को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या-5.5 : विश्वविद्यालय में मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति का वर्ष 2015 से वर्तमान 2020 तक का विवरण व्यवस्थापक मण्डल के समक्ष रखा गया जिसकी सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ प्रशंसा की गई।

कार्यसूची संख्या-5.6 : विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय एवं अन्ताराष्ट्रिय संस्थानों द्वारा प्रदान किये सम्मानों की विस्तृत जानकारी व्यवस्थापक मण्डल को दी गयी जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड-2020 एवं राजस्थान (कोटा) में 21 जून, 2018 को आयोजित अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस के कार्यक्रम में 100 से अधिक वर्ल्ड रिकार्ड स्थापित किये जाने व योग के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलों की अन्तरविश्वविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भी पदक प्राप्त करने पर व्यवस्थापक मण्डल द्वारा करतल ध्वनि के साथ उत्साहवर्द्धन एवं सम्मान किया गया।

कार्यसूची संख्या-5.7 : माननीय कुलाधिपति एवं माननीय कुलपति महोदय के आशीर्वाद एवं अन्ताराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कवि डॉ0 हरिओम पंवार जी, सदस्य व्यवस्थापक मण्डल पतंजलि विश्वविद्यालय की गरिमामयी उपस्थिति में चौबीस घण्टे के अन्दर एक हजार विद्यार्थियों के मध्य ''पतंजलि कला संगम'' नामक बैनर के तले पचास से अधिक विद्यार्थियों ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर सभी को आश्चर्यचकित कर ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। डॉ0 हरिओम पंवार जी द्वारा कहा गया कि 'पतंजलि विश्वविद्यालय एवं आयुर्वेद महाविद्यालय' के विद्यार्थियों के अन्दर प्रतिभा कूट-कूट कर भरी

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

हुयी है। उनको मंच उपलब्ध होना चाहिए जो कि पतंजलि योगपीठ वैश्विक स्तर पर उपलब्ध करा भी रही है। साथ ही निर्णय लिया गया कि शीघ्र ही मा0 हरिओम पंवार जी के प्रयत्नों से विश्वविद्यालय परिसर में माननीय कुलाधिपति जी, मा0 कुलपति जी के आशीर्वाद से एक कवि सम्मेलन रखा जाएगा। साथ ही पतंजलि विश्वविद्यालय की त्रैमासिक प्रकाशित होने वाली पत्रिका **'पतंजलि विश्वविद्यालय प्रभा'** के विषय में भी व्यवस्थापक मण्डल के समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया जिसका सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा स्वागत एवं अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची संख्या-5.8 : पतंजलि विश्वविद्यालय में गठित 'परामर्शदात्री समिति' के विषय में व्यवस्थापक मण्डल के सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की उत्कृष्टता एवं मार्गदर्शन हेतु विश्वविद्यालय में एक परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया जो कि समय-समय पर अपने बहुमूल्य अनुभव एवं सुझाव देते रहते हैं।

कार्यसूची संख्या-5.9 : विश्वविद्यालय में नव चयनित शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक एवं अधिकारीगणों की संख्या के विषय में भी व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया जिसको सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

कार्यसूची संख्या-5.10 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं संकाय सदस्यों द्वारा अन्ताराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शोध प्रकाशन (Research Journals) में प्रकाशित लेखों के विषय में समस्त सदस्यों को अवगत कराया गया जिसके अर्न्तगत माननीय कुलपति जी द्वारा सभी को अवगत कराया गया कि पतंजलि योगपीठ संस्था द्वारा संस्कृत के 02 एवं हिन्दी के 01 Abstract को ऐसे शोध प्रकाशन में प्रकाशित कराया गया है जो कि विशिष्ट ख्याति प्राप्त हैं तथा पाण्डुलिपियों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु पतंजलि विश्वविद्यालय की मातृसंस्था पतंजलि योगपीठ द्वारा विशाल कार्य किया जा रहा है जिसमें कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में भी इसके नाम का उल्लेख है। सभी उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा आश्चर्य के साथ करतल ध्वनि कर इस अथक प्रयास हेतु शुभकामनाएं एवं सराहन भी गई।

कार्यसूची संख्या-5.11 : विश्वविद्यालय की मातृसंस्था पतंजलि योगपीठ द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका योग संदेश में भी दो सौ से अधिक उत्कृष्ट लेखों का लेखन कार्य प्रतिमाह

विश्वविद्यालय के अधिकारियों व संकाय सदस्यों द्वारा होता है जिससे कि आम जन भी योग, आयुर्वेद एवं वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करते हैं।

कार्यसूची संख्या-5.12 : कार्यसूची के अर्न्तगत संकाय सदस्यों द्वारा आयोजित एवं सम्मिलित सम्मेलन/संगोष्ठी/वेबिनार/कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम/जागरुकता कार्यक्रम के अर्न्तगत संकायों द्वारा प्रतिभाग एवं प्रशिक्षण प्रदान/प्राप्त किया गया जिसमें पुरस्कार एवं सम्मान आदि की प्राप्ति भी हुई है। जिसका करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया।

कार्यसूची संख्या-5.13 : यह भी प्रस्तुत किया गया कि पतंजलि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों द्वारा विश्वविद्यालय एवं देश-विदेशों की विशिष्ट संस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहण किया जा रहा है जो कि विश्वविद्यालय के लिए गौरव का विषय है।

कार्यसूची संख्या-6 : माननीय कुलाधिपति अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल की आज्ञा से विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के आडिटेड वार्षिक लेखा-जोखा (Annual Accounts) की सारगर्भित प्रस्तुति की गई जिसकी माननीय अध्यक्ष सहित समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। एवं विश्वविद्यालय के नये परिसर के भव्य स्वरूप के विषय में बताया गया जिसका समस्त सदस्यों द्वारा करतल ध्वनि के साथ स्वागत किया गया।

कार्यसूची संख्या-7 : माननीय कुलाधिपति अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल की आज्ञा से विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक बजट (Annual Budget) की सारगर्भित प्रस्तुति की गई जिसकी माननीय अध्यक्ष सहित समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

क) प्रबन्ध मण्डल द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम क्रमशः- 1) बी.एस.सी. बॉयोलॉजिकल साईंस, 2) योग एवं आयुर्वेद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा को सत्र 2020-21 से विश्वविद्यालय में प्रारम्भ करने की अनुमति की स्वीकृति कार्योत्तर मंजूरी (Post Facto Approval) के अर्न्तगत व्यवस्थापक मण्डल

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

द्वारा स्वीकृति प्रदान गई।

ख) नये सत्र से प्रारम्भ किए जाने वाले पाठ्यक्रमों (बॉयोटेक्निकल साईंस, बॉयो कैमेस्ट्री, माइक्रो बॉयोलॉजी, आयुर्वेद बॉयोलॉजी एवं बॉयोटेक्नोलॉजी) को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई।

ग) विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह आयोजन एवं स्वर्णपदक प्रदान करने हेतु रूपये पाँच लाख धनराशि के प्रायोजक बनने के लिए विनियम (Regulation) बनाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सहित समस्त व्यवस्थापक मण्डल के सम्मनित सदस्यों द्वारा अनुमति प्रदान की गई।

घ) नये सत्र से आपदा प्रबन्ध (Disaster Management) एवं कम्प्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स (Computer Certificate Course) में छः माह का सर्टिफिकेट तथा संस्कृत विषय में 'संस्कृत में विज्ञान' एक वर्षीय डिप्लोमा प्रारम्भ किये जाने हेतु समस्त व्यवस्थापक मण्डल के सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। मा0 अध्यक्ष महोदय द्वारा संस्कृत डिप्लोमा के पाठ्यक्रम तैयार करने हेतु डॉ. विजयपाल प्रचेता जी एवं डॉ. सोमदेव शतांशु जी को दायित्त्व दिया गया।

ङ) नये सत्र से विश्वविद्यालय में राष्ट्रिय कैडेट कोर (NCC) की तीनों युनिटों क्रमशः 01) थल सेना, 02) जल सेना, 03) वायु सेना (Army/Navy/Air Force) को विश्वविद्यालय मे प्रारम्भ करने हेतु अनुमोदन दिया गया।

च) विश्वविद्यालय प्रारम्भ वर्ष से वर्तमान तक सभी उपाधि पात्रता धारक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की स्वीकृति भी व्यवस्थापक मण्डल द्वारा प्रदान की गई।

छ) वित्ताधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय के बजट प्रस्तुति के समय माननीय अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल को अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा अपना शिक्षण शुल्क आदि समय पर जमा नहीं किया जाता है जिससे कि वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनका छात्र/छात्राओं से सीधा सम्पर्क न होने के कारण विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस विषय के निराकरण हेतु गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए; इसके उत्तर में प्रति-कुलपति द्वारा माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया गया कि शुल्क की प्राप्ति हेतु 08 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जा चुका है और इस पर त्वरित गति से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार

अन्त में परम पूज्य स्वामी जी महाराज, अध्यक्ष व्यवस्थापक मण्डल ने उपस्थित सम्मानित सदस्यों का माला पहनाकर अभिनन्दन करते हुए धन्यवाद किया एवं निम्न शब्दों में अपना शुभाषीश प्रदान किया ''श्रद्धेय आचार्य श्री का स्नेह, निरन्तर नेतृत्व और हमारे कुलगुरु की तरह प्रो0 महावीर जी, प्रति–कुलपति और हमारी बहिन जो संगठन से लेकर संस्था तक बड़ी भूमिका में है बहिन डॉ0 प्रवीण पुनिया जी, कुलसचिव; और आदरणीय हमारे सारे ही; श्री ललित मोहन जी; आदरणीय श्री डॉ0 यादव जी; डॉ0 निर्विकार जी से लेकर के; जो संस्था के अंगीभूत हैं- अतंरंग परिधि में रहते हैं; और आप सब भी जिनका बहुत गहरा प्रेम, एकात्मता से विश्वविद्यालय के साथ हैं इसके लिए हम हृदय की गहराई से पूर्ण कृतज्ञता के साथ आप सब को प्रणाम करते हैं; और इस अभियान को निरन्तर आपके आशीष प्राप्त होते रहें, इस प्रार्थना के साथ आज की सभा को विर्सजित करते हैं'' तदुपरांत पूर्णमद: पूर्णमिदं..... मन्त्रोच्चारण के साथ बैठक का समापन किया गया।

(माननीय कुलपति)

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार